प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति

(छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008 के अंतर्गत गठित)

श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस, मोवा रायपुर छ.ग. में संचालित एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम हेतु फीस का पुनरीक्षण शैक्षणिक सत्र 2024-2025, 2025-2026 एवं 2026-2027 के लिए अंतिम रूप से किया जा रहा है

संकल्प दिनांक 22/08/2024

1. छ.ग. निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008, (जिसे आगे "अधिनियम, 2008" से उल्लेखित किया जाएगा), की धारा 4(1) एवं (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत छ.ग. शासन द्वारा प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति (जिसे आगे ए.एफ.आर.सी. से उल्लेखित किया जाएगा), जिसे निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के विनियमन एवं फीस के निर्धारण के लिए गठित किया गया है ।
2. ए.एफ.आर.सी. इस संकल्प द्वारा श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस, मोवा रायपुर छ.ग. में संचालित एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में फीस का पुनरीक्षण शैक्षणिक सत्र 2024-2025, 2025-2026 एवं 2026-2027 के लिए अंतिम रूप से किया जा रहा है ।
3. उक्त संस्था में पूर्व में दिनांक 20/09/2023 को वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के लिए अंतिम बार शुल्क का निर्धारण किया गया था और इस संकल्प के द्वारा पुनर्निर्धारण किया जा रहा है।
4. फीस के निर्धारण के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय और प्रदेश में पूर्व में गठित झा समिति की अनुशंसाओं एवं अधिनियम, 2008 की धारा 9(1) में वर्णित बिन्दुओं को भी ध्यान में रखा गया ।

5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा (**Islamic Academy of Education Vs. State of Karnataka**) के प्रकरण में शुल्क के संबंध में जो मुख्य बिन्दु फीस निर्धारण हेतु वर्णित किये हैं, जिसका उल्लेख पैरा-154 एवं 198 में किया गया है, जो निम्नानुसार है :-

> **154.** **The fee structure, thus, in relation to each and every college must be determined separately keeping in view several factors, including facilities available, infrastructure made available, the age of theinstitution, investment made, futureplan for expansion and betterment of the educational standard etc. The case of each institution in this behalf is required to be considered by an appropriate committee. For the said purpose, even the books of accounts maintained by the institution may have to be looked into. Whatever is determined by the Committee by way of fee structure having regard to relevant factors, some of which are enumerated herein before, the management of the institution would not be entitled to charge anything more.**
>
> **198.** **Thirdly, to ensure high standard of education and for that purpose to ensure admission to the most eligible candidates, requiring merit in a poor country like ours, the tuition and other fees should be within the reach of common people.**

6. इसी प्रकार माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा **T.M.A. PAI FOUNDATION Vs.STATE OF KARNATAKA (2002) 8 SCC 481** का न्यायदृष्टांत जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय के पैरा 56 एवं पैरा 57 में निम्नानुसार दिशा-निर्देश दिए हैं :-

56. .... Different courses of study are usually taught by teachers who have to be recruited as per qualifications that may be prescribed. It is no secret that better working conditions will attract better teachers. More amenities will ensure that better students seek admission to that institution. One cannot lose sight of the fact that providing good amenities to the students in the form of competent teaching faculty and other infrastructure costs money ....

57. We, however, wish to emphasize one point, and that is that in as much as the occupation of education is, in a sense, regarded as charitable, the Government can provide regulations that will ensure excellence in education, while forbidding the charging of capitation fee and profiteering by the institution. Since the object of setting up an educational institution "charitable", it is clear that an educational institution cannot charge such a fee as is not required for the purpose of fulfilling that object. To put is differently, in the establishment of an educational institution, the object should not be to make profit, in as much as education is essentially charitable in nature. There can however be a reasonable revenue surplus, which may be generated by the educational institution for the purpose of development of education and expansion of the institution.

7. फीस के निर्धारण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा P.A. Inamdar Vs. State of Maharashtra (2005 AIR SCW 3923 (Seven Judges Bench) के पैरा-92 में वर्णित पर्यवेक्षण का भी यहां पर उल्लेख किया जाना आवश्यक है :-

92."Education, accepted as a useful activity, whether for charity orfor profit, is an occupation. Nevertheless, it does not

<u>**cease to be a service to the society. And even though an occupation, it can-not be equated to a trade or a business"**</u>

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मार्डन डेंटल कॉलेज एण्ड रिसर्च सेंटर विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य (AIR-2016, SC 2601) में भी महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख अपने निर्णय के पैरा 175 और 176 में किया है, जैसा कि अधिनियम, 2008 में भी वर्णित है:-

175: From the above discussion, it clearly emerges that in exercise of their "right to occupation", private institutions cannot transgress the rights of the students. Discernibly, the Act does not give unbridled power to the authority to determine the fee. Determination of fee has to be based on the factors stipulated in Section 9 of the Act. Further, an opportunity of appeal is also provided for in the Act. 2007 to the aggrieved. Fundamental rights of colleges to run their administration, includes fixation of fee. However, such right in turn has to be balanced with the rights of the students, so that they are not subjected to exploitation in the form of profiteering.

176: For the foregoing discussion, I hold that the State has the legislative competence to enact the impugned legislation act 2007 to hold common entrance test for admission to professional educational institutions and to determine the fee and the High Court has rightly upheld the validity of the impugned legislation. Regulations sought to be imposed by the impugned legislation on admission by common entrancetest conducted by the State and determination of fee are in compliance of the directions and observations in T.M.A. Pai, (AIR 2003 SC 355) Islamic Academy of Education (AIR

2003 SC 3274) and P.A. Inamdar (AIR 2005 SC 3226). Regulations on admission process are necessary in the larger public interest and welfare of the student community to ensure fairness and transparency in the admission and to promote merit and excellence. Regulation on fixation of fee is to protect the rights of the students in having access to higher education without being subjected to exploitation in the form of profiteering. With the above reasonings, I concur with the majority view in upholding the validity of the impugned legislation and affirm the well merited decision of the High Court.

9. छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008 की धारा-9 में यह उल्लेखित है कि :-

1. समिति सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था द्वारा प्रभारित की जाने वाली शुल्क विहित की गई रीति में निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अवधारित करेगी :-

(क) सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था की अवस्थितिः

(ख) व्यावसायिक पाठ्यक्रम की प्रकृतिः

(ग) भूमि और भवन का मूल्यः

(घ) उपलब्ध अवसंरचना, अध्यापन, अध्यायनेत्तर कर्मचारिवृंद और उपस्करः

(ड.) प्रशासन तथा संधारण पर व्ययः

(च) व्यावसायिक संस्था की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक युक्तियुक्त आधिक्यः

(छ) कोई अन्य सुसंगतकारक :

10. इस तरह उपरोक्त धारा-9 में वर्णित प्रावधान के अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो बिन्दु फीस के पुनरीक्षण/निर्धारण के लिए निर्धारित किए हैं, उनको भी ध्यान में रखने के लिए ए.एफ.आर.सी. के सदस्यों द्वारा उपरोक्त निजी संस्था का निरीक्षण भी किया गया। संबंधित संस्था, छात्र एवं पालकों को समुचित सुनवाई का अवसर भी दिया गया।

11. दिनांक 23/04/2024 को समिति द्वारा निरीक्षण के दौरान श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस, मोवा रायपुर छ.ग. संस्था के प्रतिनिधि डॉ. मानिक चटर्जी, डीन, श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस, मोवा रायपुर छ.ग. उपस्थित हुए, उन्हें सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया । उन्होंने अपनी ओर से रू. 16,50,000/- फीस प्रस्तावित की है, उसके संबंध में यह तथ्य बताया गया कि फेकल्टी और अतिरिक्त मानव संसाधन के लिए उन्हें अत्यधिक राशि व्यय करनी पड़ती है, ताकि अच्छे शिक्षक छात्रों के लिए उपलब्ध हो सके । उन्होंने यह भी बताया कि संस्था ने काफी अधिक राशि का लोन भी लिया है और यह लेबोरेटरी को व्यवस्थित रखने के लिए, आवश्यक उपकरण क्रय करने के लिए, पुस्तकालय में आवश्यक पुस्तकों को उपलब्ध कराने के लिए, छात्रों की सुख/सुविधाओं के लिए राशि व्यय की गयी है, इसलिए उक्त आधार पर उन्होंने फीस रूपये 16,50,000/- निर्धारित किए जाने का अनुरोध किया है ।

12. जहां तक लोन पर ब्याज का प्रश्न है, यह राशि छात्रों के उपर नहीं लादी जा सकती है, जैसा कि उपर PA Inamdar Vs. State of Maharashtra (2005 AIR SCW 3923) वाले प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का उल्लेख किया जा चुका है । यह तथ्य पूर्व में शासन द्वारा गठित फीस कमेटी, जिसके अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति झा थे, के समक्ष भी आया था । उन्होंने लोन पर ब्याज को फीस की गणना में शामिल करने से इंकार किया है एवं सभी शिक्षण संस्थाओं के शुल्क निर्धारण में यही सिद्धांत को समिति ने अपनाया भी है और यह इस्लामिक

स्टेट सेंटर के निर्णय में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उल्लेखित है । संस्था को अपने स्त्रोतों का उपयोग करना चाहिए और उसके आधार पर ही राशि खर्च की जानी चाहिए । इस तरह के कोई भी व्यय छात्रों के उपर नहीं लादे जा सकते, क्योंकि शिक्षण संस्थाएं व्यापार और लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं होनी चाहिए, जैसा कि उपर वर्णित न्यायदृष्टांतों से स्पष्ट है और अधिनियम, 2008 में भी इस बात का उल्लेख धारा-9 में है कि समिति द्वारा निर्धारित की गई फीस शिक्षा में मुनाफाखोरी एवं उसके वाणिज्यीकरण के लिए नहीं होगी ।

13. शिक्षण संस्थाओं द्वारा शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ के वेतन आदि में जो राशि व्यय की जा रही है वह तो फीस के निर्धारण में विचार में ली ही जाएगी, लेकिन उतनी ही फीस स्वीकार योग्य रहेगी, जो यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित वेतनमान के अनुरूप होगी । यदि शिक्षण संस्थाएं उससे अधिक राशि व्यय कर रही है, तो यह भार अतिरिक्त रूप से छात्रों पर अधिरोपित नहीं किया जा सकता ।

14. इसके अतिरिक्त समिति का यह भी अभिमत है कि संस्था द्वारा जरूरी आवश्यक खर्च किए जा रहे हैं वह भी फीस के निर्धारण में विचार में लिए जाएंगे, जो महत्वपूर्ण शीर्ष है, वह निम्नानुसार माने जा सकते हैं:-

<u>Promiment Heads (महत्वपूर्ण शीर्ष)</u>

1. **Teaching staff expenditure**
2. **Non-Teaching Staff expenditure**
3. **Workshop consumable**
4. **Electricity expenditure**
5. **Telephone, internet and softwares**
6. **Water and & Cleaning expenditure**
7. **Travel & Conveyance**
8. **Repairing & Maintenance**
9. **Operation & Administrative expenses**
10. **Printing, Postage and Stationary**
11. **Insurance, Tax**

12. Processing fees (AFRC, University, Council and Deptt)
13. Educational Tour exp.
14. Sports & NSS
15. Annual social exp.
16. Research & Development
17. Other misc. expenses

15. ए.एफ.आर.सी. द्वारा अधिनियम, 2008 की धारा-9 में वर्णित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए संस्था का भ्रमण किया गया, ताकि संस्था को उचित प्रोत्साहन राशि (इंसेटिव) भी दिया जा सके । प्रोत्साहन राशि निर्धारित करने के लिए समिति ने तीन श्रेणियां निर्धारित की है । (अ) बहुत अच्छा (Very Good), (ब) अच्छा (Good), (स) औसत या साधारण (Average)

16. फीस पुनर्निर्धारण किए जाने के पूर्व यह विचार किया जाना भी उचित होगा कि छत्तीसगढ़ में न केवल मेडिकल शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाएं, जिससे छत्तीसगढ़ के अधिक से अधिक छात्र मेडिकल शिक्षा प्राप्त कर सकें । अतः इस हेतु छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय को विचार में रखना आवश्यक है, वहीं यह भी विचार किया जाना आवश्यक है कि संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय ने अपने स्थापना आदि का खर्च सही रूप से प्रस्तुत किया है, जिससे कि संस्था अपने शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार कर सकें । अतः छात्र एवं महाविद्यालय दोनों के हितों को विचार में रखते हुए यह आवश्यक होगा कि युक्तियुक्त और न्यायसंगत तरीके से फीस का निर्धारण माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायदृष्टांतो के परिप्रेक्ष्य में तथा छत्तीसगढ़ की आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियों तथा पूर्व में फीस के निर्धारण को विचार में रखते हुए किया जाना युक्ति संगत होगा । अतः इन समस्त बिन्दुओं पर विचार करते हुए फीस का निर्धारण किया जा रहा है ।

17. इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन विरूद्ध स्टेट ऑफ कर्नाटका राज्य के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पैरा-156 में जो Observation (अवलोकन) उल्लेखित किया है वह निम्नानुसार है :-

"While this court has not laid down any fixed guidelines as regards fee structure, in my opinion, reasonable surplus should ordinarily vary from 6% to 15% as such surplus would be utilized for expansion of the system and development of education"

18. छ.ग. राज्य सम्पन्न राज्य नहीं है । इस राज्य में वर्ष 2012 से 2021 के दौरान प्रति व्यक्ति आय रू. 1,04,943/- है, मध्यप्रदेश में वर्ष 2012 से 2021 के दौरान प्रति व्यक्ति आय रू. 1,24,685/- है, महाराष्ट्र में वर्ष 2012 से 2021 के दौरान प्रति व्यक्ति आय रू. 1,93,121/- है एवं भारत की वर्ष 2012 से 2021 के दौरान प्रति व्यक्ति आय रू. 1,50,000/- है ।

19. छ.ग. राज्य चूंकि पूर्व में मध्यप्रदेश राज्य का ही भाग रहा है । अन्य पड़ोसी राज्य जैसे मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र में एम.बी.बी.एस. कोर्स के लिए जो फीस निर्धारित की गयी है उसका भी यहां पर वर्णन किया जाना तुलनात्मक अध्ययन के लिए आवश्यक है ।

फीस का तुलनात्मक विवरण राज्यों के बीच निम्नानुसार है :-

स.क्र.	संस्था का नाम	वर्ष जिसके लिए फीस का निर्धारण किया गया	कुल फीस
1.	Chirayu Medical College Hospital, Bhopal (M.P.)	2023-24	13,25000
2.	Amaltas Institute of Medical Sciences, Dewas Road, Ujjain (M.P.)	2023-24	12,32000
3.	Mahaveer Institute of Medical Sciences Research, Badwai, Bhopal(M.P.)	2023-24	10,0000
4.	R.D. Gardi Medical College, Ujjain (M.P.)	2023-24	9,00,000

5	Sukh Sagar Medical College Hospital, Mouja, Chargawan, Jabalpur, Madhya Pradesh	2023-24	12,60,000
6	Ram Krishna medical College Hospital Research Centre Bhopal	2023-24	9,00,000
5.	Vedanta Institute of Medical Institute of Medical Sciences, Palghar, (Maharashtra)	2023-24	16,87,000
6.	Smt. KashibaiNavale Medical College,Narhe, Pune(Maharashtra)	2023-24	14,22,500
7.	N.K.P Salve Institute of Medical Sciences and Reserch Centre, Nagpur, (Maharashtra)	2023-24	11,90,000
8.	SMBT Institute of Medical Scieneds and Research, Nashik , (Maharashtra)	2023-24	11,82,000
9.	K.J. Somaiya Medical and REserch Centre, Sion, Mumbai, (Maharashtra)	2023-24	11,27,500
10.	B K L Walawalkar Rural Medical College, Chiplun, Ratnagiri, (Maharashtra)	2023-24	10,59,000
11.	Ashwini Rural Medical College Hospital &Reserch Centre, Sholapur, (Maharashtra)	2023-24	9,86,000
12.	M.I.M.S.R Medical College, Latur, (Maharashtra)	2023-24	8,80,000
13.	A.C.P.M. Medical College, Dhule, (Maharashtra)	2023-24	8,28,000
14.	Prakash Institute of Medical Sciences and Reserch, Sangli, (Maharashtra)	2023-24	7,05,500

20. इस तरह उपर जो पड़ोस के राज्यों की फीस का उल्लेख किया गया है, उसके अनुसार देखा जाए तो मध्यप्रदेश राज्य में अधिकतम फीस रू. **13,25,000/-** एवं न्यूनतम रू. **9,00,000/-** है । वहीं महाराष्ट्र राज्य में अधिकतम फीस रू. **16,87,000/-** एवं न्यूनतम रू. **7,05,000/-** है । इसमें कुछ नये कॉलेज भी हैं, जिनकी फीस पुराने कॉलेज की अपेक्षा कम रखी गई है, क्योंकि उतने संसाधन नये कॉलेज में नहीं पाए गये तथा कुछ कॉलेजों की फीस ज्यादा है, क्योंकि फीस के निर्धारण में जो गणक

विचार योग्य है, उसे ही विचार में लिया जाकर फीस का निर्धारण किया जा सकता है ।

21. पूर्व में इस शिक्षण संस्था में संचालित एम.बी.बी.एस. कोर्स हेतु शिक्षण सत्र 2021-2022, 2022-2023 एवं 2023-2024 के लिए निम्नानुसार फीस निर्धारित किया गया था, जो निम्नवत् है:-

स. क्र.	निजी एम.बी.बी.एस. कॉलेजों के नाम	वर्ष जिसके लिए फीस का पुनरीक्षण किया गया।	कुल फीस प्रतिछात्र/प्रतिवर्ष (सम्मिलित ट्यूशन फीस, ग्रोथ एण्ड डेव्लपमेंट चार्जेस, इंसेंटिव एवं अन्य सभी फीस)
1	श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस, मोवा रायपुर छ.ग.	2021-22, 2022-23 एवं 2023-24	Rs**7,50,187/-** per year upto course tenure of four year and for remaining half year Rs. 3,75,093.5/-

22. <u>एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में फीस पुनर्निर्धारण हेतु तरीका एवं गणना</u> :- शिक्षण संस्था के द्वारा प्रस्तुत किये गये लेखा विवरण और जानकारी के आधार पर सदस्य वित्त ने जो टीप दी है वह निम्नानुसार है :-

1. श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस, मोवा रायपुर छ.ग. संस्था के निरीक्षण के समय संस्था के प्रतिनिधि डॉ. मानिक चटर्जी, डीन एवं संचालक डॉ. देवेन्द्र नायक उपस्थित हुए, उन्हें सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया । उन्होंने रूपये 16,50,000.00 फीस प्रस्तावित की है। उपरोक्त संस्था श्री बालाजी मेडिकल फाउंडेशन द्वारा संचालित हो रही है और इस समिति का केवल यही एक पाठ्यक्रम नहीं है, वे विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं और खर्चे आदि के संबंध में समिति की एकजाई बैलेंस शीट ही प्रस्तुत करते हैं, प्रत्येक कोर्स का पृथक-पृथक विवरण उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। उनकी ओर से वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 की आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई । वित्तीय वर्ष 2021-22 में रूपये

24,05,288.00 की हानि वर्णित है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में रूपये 9,77,573.00 की हानि वर्णित है। सदस्य वित्त द्वारा संस्था से संपूर्ण एकाउंट का टैली डाटा उपलब्ध कराने हेतु उल्लेख किया जिस पर संस्था ने संपूर्ण डाटा उपलब्ध कराया, उपरोक्त उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के अवलोकन पश्चात सदस्य (वित्त) का यह कहना है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 (31.03.2023 को समाप्त) की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार कॉरपस फण्ड 27,22,566/- रूपये था लेकिन जो वित्तीय आंकड़े 2023-24 के अनुसार कॉरपस फण्ड शून्य दर्शित किया गया। वित्तीय वर्ष 31.03.2023 के लिए ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार खर्चों से अधिक आय में रू. 9,77,573/- वर्णित है और जो ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसमें प्रारंभिक हानि रू. 30,27,000/- की वर्णित है। इसी तरह जो ऑडिट रिपोर्ट और आंकड़े दिये गये उसमें शीर्ष कम्न्जूमेबिल खर्च में अधित्यधिक अन्तर दिखलाई पड़ता है, अप्रैल से फरवरी, 2024 तक औसत खर्च रू. 28,27,000/- था लेकिन अचानक आखिरी महीने में यह आंकड़ा 317.87 लाख रूपये हो गया। इसी तरह की स्थिति कर्मचारियों के लिए किये गये प्रावधान के संबंध में है इस संबंध में औसत मासिक व्यय अप्रैल से फरवरी 2024 तक 1. 82 करोड़ रूपये दर्शित है जबकि मार्च 2024 में यह व्यय का आकड़ा 5. 79 करोड़ हो जाता है। सदस्य वित्त ने इसी को दर्शाने के लिए चार्ट बनाया जा निम्नानुसार है:-

Expenditure Type	11 Months Average	March 24 Exp.
Consumable Exp.	28.27 Lac	317.87 Lac
Employee Benefits	1.82 Cr	5.79 Cr
Conteen Exp.	11.42 Lac	34.46 Lac
House Keeping	6.35 Lac	39.20 Lac
Repairs & Maintenance	11.90 Lac	54.68 Lac

इसी तरह की स्थिति राजस्व के संबंध में है और प्रिरिसिप्ट वर्तमान वित्त वर्ष के लाभ से विनियोजित और स्थानांतरित किया गया है जिसका आंकड़ा 35.50 करोड़ है इसी के कारण वर्तमान वित्त वर्ष के लाभ में कमी आई, जबकि यह तथ्य है कि मेडिकल कॉलेज ने छात्रों से पहले ही वह राशि प्राप्त कर ली है। ऐसे लाभ के एप्रोपियेशन के लिए कोई वैज्ञानिक विधि नहीं अपनाई गई। सदस्य (वित्त) का यह कहना है कि मूल्य ह्रास वास्तविक खर्चे की श्रेणी में नहीं आता है, यह व्यवसायिक संस्थानों के लिए विशेष रूप से उपयोग में लिया जाता है ताकि व्यवसायिक दृष्टिकोण से उन संस्थाओं में लाभ-हानि और संस्था की स्थिति को देखा जा सके । इस मद में 131.25 लाख रूपये वर्णित है जिसे समायोजित कर दिये जाये तो संस्था का लाभ और अधिक बढ़ जाता। सदस्य (वित्त) का यह कहना है कि शैक्षणिक संस्थाओं की शुल्क के निर्धारण के लिए जो मुख्य आधार है वह उनका नो-प्राफिट नो-लॉस के आधार पर संस्थान का संचालन होना चाहिए। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि संस्था निरंतर लाभ की स्थिति में चल रही है, अर्थात समिति के पास खर्चे से अधिक राशि उपलब्ध है और जैसा कि उपर वर्णित किया जा चुका है शैक्षणिक संस्थायें लाभ कमाने के उद्देश्य से संचालित नहीं की जाना है, इसलिए उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़े फीस के निर्धारण के लिए समुचित नहीं है।

2. संबंधित शिक्षण संस्था द्वारा स्वयं का अस्पताल भी संचालित किया जा रहा है, जिसे अपने व्यय पर ही वे संचालित कर रहे हैं । छात्रों की फीस पर वह आश्रित नहीं है, संस्था को इससे भी आय प्राप्त होती है और इसके लिए जो शैक्षणिक स्टाफ है, उनका भी उपयोग संस्था द्वारा लिया जाता है, उसमें होने वाले व्यय को फीस में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, बल्कि

वह संस्था की आय का ही स्त्रोत है । संस्था द्वारा जो व्यय के ऑकड़े प्रस्तुत किया गया है वह काल्पनिक परिलक्षित होते हैं ।

3. समिति द्वारा इस राज्य में इस संस्था के अतिरिक्त जो दो अन्य मेडिकल कालेज श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस जुनवानी भिलाई एवं रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस, गोढ़ी भानसोज संचालित हैं जिनकी एम.बी.बी.एस. की फीस का पुनरीक्षण शैक्षणिक सत्र 2022-2023, 2023-2024 एवं 2024-2025 के लिये करते हुए श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस जुनवानी भिलाई की फीस 7,99,187/- रूपये वार्षिक एवं रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस, गोढ़ी भानसोज की फीस 7,45,187/- रूपये वार्षिक निर्धारित की गई है, उसे भी श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस मोवा के निर्धारण में विचार में लिया ही जावेगा ।

23. पूर्व में उपरोक्त शिक्षण संस्था के लिए ए.एफ.आर.सी. द्वारा जो फीस निर्धारित की गई थी उसमें आवश्यक मानदंडों को ध्यान रखते हुए निर्धारण किया गया था जो अंतिम थी । इस तरह वह फीस अभी तक प्रभावशील है। ऐसी स्थिति में अब चूंकि फीस का पुनर्निर्धारण ही किया जाना है और पुनर्निर्धारण के लिए भारत वर्ष एवं राज्यों के आर्थिक आंकड़ों को विचार में लिया जा सकता है।

24. भारत सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अंतर्गत आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जो होलसेल प्राईस इण्डेक्स वर्ष 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए जो गणना की गई है उसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2012-13 में 106.9, वर्ष 2013-14 में 112.5, वर्ष 2014-15 में 113.9, वर्ष 2015-16 में 109.7, वर्ष 2016-17 में 111.6, वर्ष 2017-18 में 114.9, वर्ष 2018-19 में 119.8, वर्ष 2019-20 में 121.8, वर्ष 2020-21 में 123.4, वर्ष 2021-22 में 139.4 वर्णित है।

25. इसी तरह कंज्युमर प्राईस इण्डेक्स 2012 को आधार वर्ष मानते हुए जो गणना की गई है उसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2012-13 में 102.5, वर्ष 2013-14 में 112.2, वर्ष 2014-15 में 118.9, वर्ष 2015-16 में 124.7, वर्ष 2016-17 में 130.3, वर्ष 2017-18 में 135.9, वर्ष 2018-19 में 139.6 मानते हुए लगभग प्रतिवर्ष 6.04 औसत इन्फ्लेशन दर का अनुमान लगाया।

26. इसी तरह इन्फ्लेशन इण्डेक्स का भी उल्लेख यहां किया जाना समुचित है जिसमें वर्ष 2001-02 को आधारवर्ष मानते हुए गणना की गई है उसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2012-13 में 200, वर्ष 2013-14 में 220, वर्ष 2014-15 में 240, वर्ष 2015-16 में 254, वर्ष 2016-17 में 264, वर्ष 2017-18 में 272, वर्ष 2018-19 में 280, वर्ष 2019-20 में 289, वर्ष 2020-21 में 301, वर्ष 2021-22 में 317, एवं वर्ष 2022-23 में 331 वर्णित है। इस तरह 2019-20 के पश्चात् 289 से 331 अंक पाये गये ।

27. छ.ग. राज्य सम्पन्न राज्य नहीं है। इस राज्य में वर्ष 2012 से 2021 के दौरान प्रति व्यक्ति आय रू. 1,04,943/-है, मध्यप्रदेश में वर्ष 2012 से 2021 के दौरान प्रतिव्यक्ति आय रू. 1,24,685/-है, महाराष्ट्र में वर्ष 2012 से 2021 के दौरान प्रति व्यक्तिआय रू. 1,93,121/-है एवं भारत की वर्ष 2012 से 2021 के दौरान प्रति व्यक्ति आय रू. 1,50,000/-है।

28. जैसा कि उपर प्रति व्यक्ति आय का उल्लेख किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ धनी राज्यों की श्रेणी में नहीं है और छत्तीसगढ़ की जनता अत्यधिक खर्च उठाने के लिए सक्षम भी नहीं है और फीस निर्धारण करने के समय छत्तीसगढ़ राज्य की आर्थिक स्थिति को भी ध्यानमें रखना आवश्यक है। संबंधित महाविद्यालय की गुणवत्ता एवं पाठ्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए तथा छ.ग. की आर्थिक एवं सामाजिक स्थितिको विचार में रखते हुए जबकि छ.ग. राज्य एक आदिवासी बाहुल्य राज्य है तथा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की आमदनी अन्य वर्ग की

अपेक्षा निश्चित रूप से कम होती है, को विचार में रखते हुए तथा छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है, के छात्र कम से कम अपने राज्य में चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके।

29. फीस निर्धारण किए जाने के पूर्व यह विचार किया जाना भी उचित होगा कि छत्तीसगढ़ में न केवल एम.बी.बी.एस. की शिक्षा और ज्ञान का स्तर बढ़ाया जाएं, जिससे छत्तीसगढ़ के अधिक से अधिक छात्र यह शिक्षा प्राप्त कर सकें। अतः इस हेतु छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय को विचार में रखना आवश्यक है, वहीं यह भी विचार किया जाना आवश्यक है कि संबंधित एम.बी.बी.एस. महाविद्यालय ने अपने स्थापना आदि का खर्च सही रूप से प्रस्तुत किया है, जिससे कि संस्था अपने शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार कर सकें। अतः छात्र एवं महाविद्यालय दोनों के हितों को विचार में रखते हुए यह आवश्यक होगा कि युक्तियुक्त और न्यायसंगत तरीके से फीस का निर्धारण माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में तथा छत्तीसगढ़ की आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियों तथा पूर्व में फीस के निर्धारण को विचार में रखते हुए किया जाना युक्ति संगत होगा। अतः इन समस्त बिन्दुओं पर विचार करते हुए फीस का निर्धारण किया जा रहा है।

30. उपरोक्त तथ्यों के आधार पर छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी और कॉलेजों की फीस निर्धारण के लिए समुचित स्टेटिकल टूल्स के आधार पर संस्था और छात्र दोनों के हितों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए समिति का यह सुझाव है कि शिक्षण संस्थाओं में केपिटल एक्सपेंडिचर प्रारंभ में एक बार ही सामान्य तौर पर किया जाता है । चूंकि समस्त शिक्षण संस्थाओं की पूर्व से फीस उन्हीं तथ्यों के आधार पर निर्धारित की जा चुकी है और अब केवल समय के आधार पर पुनर्निर्धारण ही किया जाना है क्योंकि यह कॉलेज पूर्व से चालू कॉलेज ही है । इसलिए इस कॉलेज में मुख्यतः कॉलेज चलाने हेतु दिन-प्रतिदिन होने वाले खर्च मुख्य रूप से शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टॉफ का वेतन, विद्युत खर्चे, प्रशासनिक

खर्च और मेंटनेंस तथा डेव्हलपमेंट खर्च ही आते हैं । शैक्षणिक संस्था की संबंधित समिति या कम्पनी ने ऋण के लिए ब्याज जो अदा किया है, उसे खर्चों में शामिल नहीं किया जा सकता जैसा कि ऊपर ही वर्णित किया जा चुका है इसलिए संस्था की फीस का पुनर्निर्धारण करने हेतु जिन तथ्यों पर विचार किया जाए उनमें मुद्रा स्फीति भी एक तथ्य है जिसकी दर भारत में 2 से 3 प्रतिशत गत कुछ वर्षों से आंकलित की जा रही है, परन्तु केवल मुद्रा स्फीति को ही फीस वृद्धि के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि मुख्य रूप से केपिटल एक्सपेंडिचर जो संस्था ने किए हैं उनकी लगभग पूर्ति हो चुकी है । इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए ए.एफ.आर.सी. संभावित खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए 3 प्रतिशत की वृद्धि को ही समुचित पाती है । इसके अतिरिक्त विकास के लिए भी प्रत्येक संस्था को उसके स्तर के आधार पर जैसा कि ए.एफ.आर.सी.ने निरीक्षण में पाया है अतिरिक्त इनसेंटिव के रूप में भी दिया जाना समुचित पाती है । (अ) बहुत अच्छा (Very Good) , (ब) अच्छा (Good), (स) औसत या साधारण (Average) और इस आधार पर ही भविष्य के विकास के लिए भी प्रतिछात्र अतिरिक्त राशि देने का तय किया गया है जो क्रमशः औसत या साधारण के लिए 25000/-,अच्छा के लिए 30000/-, बहुत अच्छा के लिए 40000/- रूपये निर्धारित की गई। इस संस्था को निरीक्षण में अच्छा श्रेणी में पाया गया ।

31. तद्नुसार यह समिति श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस, मोवा रायपुर छ.ग. में संचालित एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम हेतु फीस का अंतिम निर्धारण उसके नाम के सम्मुख वर्षों के लिए निम्नानुसार किया जाता है:-

स. क्र.	एम.बी.बी.एस. महाविद्यालय का नाम	वर्ष जिसके लिए फीस का पुनरीक्षण किया गया	श्रेणी	Fees(Inclusive of Growth & Development Charges, Weightage and all other Misc. Fees per year per student and also for half year Rs.

1.	श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस, मोवा रायपुर छ.ग.	2024-2025, 2025-2026 एवं 2026-2027	अच्छा (Good)	Rs 8,02,700/- round off per year upto course tenure of four year and for remaining half year Rs. 4,01,350/-

32. छात्रावास, मेस और कॉलेज आने-जाने के लिए ट्रांस्पोर्टेशन की सुविधा वैकल्पिक रहेगी। प्रत्येक छात्र/छात्राओं के लिए यह बाध्यता नहीं है कि उसका उपयोग करें। यह स्वैच्छिक है। छात्रावास, मेस एवं ट्रांस्पोर्टेशन शुल्क "न लाभ न हानि" (N0 PROFIT NO LOSS) के आधार पर केवल उपयोगकर्ता छात्र/छात्राओं से ही लिया जाना है, अन्य छात्रों से नहीं लिया जा सकेगा ।

33. संबंधित संस्था अपनी उक्त फीस के अतिरिक्त और कोई भी शुल्क यूनिफार्म, आई.डी.-कार्ड, लायब्रेरी-कार्ड, लेबोरेटरी, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल-कूल, स्किल लैब एवं एन.एस.एस. फीस आदि मदों भवन, फर्नीचर, उपकरण आदि मदों में वसूल नहीं कर सकेगी ।

34. संस्था द्वारा ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य मदों में जो फीस ली जावेगी, उसका पूरा विवरण नोटिस बोर्ड, संस्था की वेबसाईट तथा प्रवेश हेतु जारी किए जाने वाले प्रॉस्पेक्टस में उल्लेखित होगी । प्रॉस्पेक्टस काउंसिलिंग के पूर्व अनिवार्य रूप से जारी करेंगे तथा प्रॉस्पेक्टस की एक प्रति प्रवेश तथा फीस विनियामक सचिवालय में जमा करनी होगी ।

35. संस्था छात्र से रू. 25,000/- (रूपए पच्चीस हजार मात्र) प्रति छात्र एकमुश्त प्रवेश के समय काशन मनी के रूप में प्रावधानित राशि ले सकेगी, जो छात्र के संस्था छोड़ने पर वापसी योग्य होगी ।

36. संस्था द्वारा निर्धारित फीस से अधिक फीस लेना अथवा समिति द्वारा निर्धारित मद से अन्य मद में फीस लेना केपिटेशन फीस कहलाएगी एवं दोषी संस्था के उपर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।

37. यह फीस शिक्षण सत्र 2024–2025, 2025–2026 एवं 2026–2027 में प्रवेशित छात्रों के लिए ही लागू होगी एवं यही फीस उनके पूरे पाठ्यक्रम अवधि के लिए लागू रहेगी।

38. विश्वविद्यालय शुल्क एवं काउंसिलिंग शुल्क, राज्य शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गये नियमों के तहत ही लिया जा सकेगा ।

39. समिति द्वारा निर्धारित की गई फीस अधिकतम है, कोई संस्था चाहे तो इससे कम फीस भी ले सकती है ।

40. संस्था द्वारा छात्र से प्रवेश के समय स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं माईग्रेशन प्रमाण पत्र के अतिरिक्त और कोई भी मूल प्रमाण पत्र (जैसे 10वीं, 12वीं की मूल अंकसूची, मूल निवासी एवं जाति प्रमाण पत्र आदि) जमा नहीं कराया जाना है । केवल सत्यापन हेतु उसका अवलोकन किया जा सकता है ।

41. छात्र द्वारा निर्धारित अवधि में प्रवेश के एक माह के अंदर फीस जमा न करने पर संस्था, छात्र से रू.100/ -(रूपये एक सौ मात्र) प्रतिदिन की दर से पहले महीने एवं दूसरे महीने से रू. 200/- प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क ले सकेगी, इससे अधिक राशि वह नहीं वसूल कर सकेगी ।

42. WP(C)1707/2016 श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, रायपुर बनाम छ.ग. शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 02/02/2017 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार यदि कोई छात्र काउंसिलिंग के दौरान संस्था छोड़ना चाहता है एवं अपना प्रवेश निरस्त कराना चाहता है तो उसे काउंसिलिंग के अंतिम तिथि के 05 दिन पूर्व संबंधित संस्था में प्रवेश निरस्ती संबंधी आवेदन पत्र जमा करनी होगी, तभी उसकी जमा फीस नियमानुसार वापसी योग्य होगी । अन्यथा उच्च न्यायालय के उक्त आदेशानुसार फीस वापस नहीं की जा सकेगी ।

43. छात्र से ली जाने वाली फीस या वापस की गई राशि बैंक के माध्यम से जैसे चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा से ही ली या वापस की जा सकेगी ।

44. संस्था प्रति वर्ष गत वर्ष की आडिट रिपोर्ट नोटिस बोर्ड में चस्पा करेगी ।

45. संबंधित संस्था फीस से संबंधित जानकारी एवं स.क्र. 31 से 44 तक की जानकारियां संस्था के नोटिस बोर्ड में बड़े अक्षरों में प्रसारित करेंगे तथा अपनी वेबसाईट में भी अपलोड करेंगे एवं की गई कार्यवाही से इस समिति को सूचित करेंगे ।

46. अतः यह समिति श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस, मोवा रायपुर छ.ग. के अधोसंरचना और अन्य आधार पर उनकी श्रेणी का निर्धारण करते हुए कंडिका-31 के अनुसार उनके सम्मुख वर्षों के लिए शैक्षणिक शुल्क का निर्धारण करती है ।

संकल्प की प्रति आवश्यक अधिसूचना हेतु राज्य शासन की ओर भेजा जाए तथा एक प्रति वेबसाईट में अपलोड हेतु चिकित्सा शिक्षा संचालक, छत्तीसगढ़ की ओर भेजी जाएं।

22/8/26

(प्रभात कुमार शास्त्री) अध्यक्ष ए.एफ.आर.सी.	(डॉ.यू.एस.पैकरा) पदेन सदस्य (संचालक चिकित्सा शिक्षा) ए.एफ.आर.सी.	(योगेश वर्ल्यानी) सदस्य (वित्त) ए.एफ.आर.सी.	(सैयद अफसर अली) सदस्य (विधि) ए.एफ.आर.सी.

प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति

(छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008 के अंतर्गत गठित)

श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस एंड रिसर्च, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) एवं अभिषेक आई मिश्रा मेमोरियल कॉलेज एंड रिसर्च, जुनवानी, भिलाई में संचालित एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम हेतु फीस का निर्धारण शैक्षणिक सत्र 2024-2025, 2025-2026, एवं 2026-2027 के लिए अंतिम रूप से किया जा रहा है।

संकल्प दिनांक 22/08/2024

1. छ.ग. निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008, (जिसे आगे "अधिनियम, 2008" से उल्लेखित किया जाएगा), की धारा 4(1) एवं (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत छ.ग. शासन द्वारा प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति (जिसे आगे ए.एफ.आर.सी. से उल्लेखित किया जाएगा), जिसे निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के विनियमन एवं फीस के निर्धारण के लिए गठित किया गया है ।

2. श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस एंड रिसर्च, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) एवं अभिषेक आई मिश्रा मेमोरियल कॉलेज एंड रिसर्च, जुनवानी, भिलाई, का प्रथम बार एम.बी.बी.एस. कोर्स के लिए शुल्क का निर्धारण किया जा रहा है। इस संकल्प के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-2025, 2025-2026 एवं 2026-2027 के लिए अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है ।

3. फीस के निर्धारण के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों प्रतिपादित सिद्धांत और प्रदेश में पूर्व में गठित झा समिति की अनुशंसाओं एवं अधिनियम, 2008 की धारा 9(1) में वर्णित बिन्दुओं को भी ध्यान में रखा गया।

4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा (Islamic Academy of Education Vs. State of Karnataka) के प्रकरण में शुल्क के संबंध में जो मुख्य बिन्दु फीस निर्धारण हेतु वर्णित किये हैं, जिसका उल्लेख पैरा-154 एवं 198 में किया गया है, जो निम्नानुसार है :-

154. The fee structure, thus, in relation to each and every college must be determined separately keeping in view several factors, including facilities available, infrastructure made available, the age of theinstitution, investment made, futureplan for expansion and betterment of the educational standard etc. The case of each institution in this behalf is required to be considered by an appropriate committee. For the said purpose, even the books of accounts maintained by the institution may have to be looked into. Whatever is determined by the Committee by way of fee structure having regard to relevant factors, some of which are enumerated herein before, the management of the institution would not be entitled to charge anything more.

198. Thirdly, to ensure high standard of education and for that purpose to ensure admision to the most eligible candidates, requiring merit a poor country like ours, the tuition and other fees ould be within the reach of common people.

5. इसी प्रकार माननीय उच्चतम् न्यायालय रा T.M.A. PAI FOUNDATION Vs.STATE OF KARNATAKA (20 8 SCC 481 का न्यायदृष्टांत जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने य के पैरा 56 एवं पैरा 57 में निम्नानुसार दिशा-निर्देश दिए हैं :-

56. .... Different courses of study are usually taught by teachers who have to be recruited as per qualifications that may be prescribed. It is no secret that better working conditions will attract better teachers. More amenities will ensure that better students seek admission to that institution. One cannot lose sight of the fact that providing good amenities to the students in the form of competent teaching faculty and other infrastructure costs money ....

57. We, however, wish to emphasize one point, and that is that in as much as the occupation of education is, in a sense, regarded as charitable, the Government can provide regulations that will ensure excellence in education, while forbidding the charging of capitation fee and profiteering by the institution. Since the object of setting up an educational institution "charitable", it is clear that an educational institution cannot charge such a fee as is not required for the purpose of fulfilling that object. To put is differently, in the establishment of an educational institution, the object should not be to make profit, in as much as education is essentially charitable in nature. There can however be a reasonable revenue surplus, which may be generated by the educational institution for the purpose of development of education and expansion of the institution.

6. फीस के निर्धारण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा P.A. Inamdar Vs. State of Maharashtra (2005 AIR SCW 3923 (Seven Judges Bench) के पैरा–92 में वर्णित पर्यवेक्षण का भी यहां पर उल्लेख किया जाना आवश्यक है :-

92."<u>Education, accepted as a useful activity, whether for charity or for profit, is an occupation. Nevertheless, it does</u>

not cease to be a service to the society. And even though an occupation, it can-not be equated to a trade or a business"

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मार्डन डेंटल कॉलेज एण्ड रिसर्च सेंटर विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य (AIR-2016, SC 2601) में भी महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख अपने निर्णय के पैरा 175 और 176 में किया है, जैसा कि अधिनियम, 2008 में भी वर्णित है:-

175: From the above discussion, it clearly emerges that in exercise of their "right to occupation", private institutions cannot transgress the rights of the students. Discernibly, the Act does not give unbridled power to the authority to determine the fee. Determination of fee has to be based on the factors stipulated in Section 9 of the Act. Further, an opportunity of appeal is also provided for in the Act. 2007 to the aggrieved. Fundamental rights of colleges to run their administration, includes fixation of fee. However, such right in turn has to be balanced with the rights of the students, so that they are not subjected to exploitation in the form of profiteering.

176: For the foregoing discussion, I hold that the State has the legislative competence to enact the impugned legislation act 2007 to hold common entrance test for admission to professional educational institutions and to determine the fee and the High Court has rightly upheld the validity of the impugned legislation. Regulations sought to be imposed by the impugned legislation on admission by common entrancetest conducted by the State and determination of fee are in compliance of the directions and observations in T.M.A. Pai, (AIR 2003 SC 355) Islamic Academy of Education (AIR

2003 SC 3274) and P.A. Inamdar (AIR 2005 SC 3226). Regulations on admission process are necessary in the larger public interest and welfare of the student community to ensure fairness and transparency in the admission and to promote merit and excellence. Regulation on fixation of fee is to protect the rights of the students in having access to higher education without being subjected to exploitation in the form of profiteering. With the above reasonings, I concur with the majority view in upholding the validity of the impugned legislation and affirm the well merited decision of the High Court.

8. छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008 की धारा-9 में यह उल्लेखित है कि :-

1. समिति सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था द्वारा प्रभारित की जाने वाली शुल्क विहित की गई रीति में निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अवधारित करेगी :-

(क) सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था की अवस्थितिः

(ख) व्यावसायिक पाठ्यक्रम की प्रकृतिः

(ग) भूमि और भवन का मूल्यः

(घ) उपलब्ध अवसंरचना, अध्यापन, अध्यायनेत्तर कर्मचारिवृंद और उपस्करः

(ड.) प्रशासन तथा संधारण पर व्ययः

(च) व्यावसायिक संस्था की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक युक्तियुक्त आधिक्यः

(छ) कोई अन्य सुसंगतकारक :

9. इस तरह उपरोक्त धारा-9 में वर्णित प्रावधान के अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो बिन्दु फीस के पुनरीक्षण/निर्धारण के लिए निर्धारित किए हैं, उनको भी ध्यान में रखने के लिए ए.एफ.आर.सी. के सदस्यों द्वारा उपरोक्त निजी संस्थाओं का निरीक्षण भी किया गया। संबंधित संस्था, छात्र एवं पालकों को समुचित सुनवाई का अवसर भी दिया गया।

10. दिनांक 30/07/2024 को समिति द्वारा निरीक्षण के दौरान श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस एंड रिसर्च, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) के निरीक्षण के समय संस्था के प्रतिनिधि डॉ. कुंदन ई. गेडाम, डीन उपस्थित हुए। उन्हें सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया। अपनी ओर से प्रस्तावित फीस के संबंध में तथ्यों को प्रस्तुत किया और दस्तावेज भी प्रस्तुत किए। उन्होंने अपनी ओर से रू. 23,19,432/- प्रतिवर्ष प्रस्तावित की है। उसके संबंध में यह तथ्य बताया गया कि फेकल्टी और अतिरिक्त मानव संसाधन के लिए उन्हें अत्यधिक राशि व्यय करनी पड़ती है, ताकि अच्छे शिक्षक छात्रों के लिए उपलब्ध हो सके। उन्होंने यह भी बताया कि संस्था ने लगभग 37,02,00,000/- का लोन भी लिया है और यह लोन मेडिकल कॉलेज के निर्माण, हॉस्टल के निर्माण एवं लेबोरेटरी को व्यवस्थित रखने के लिए, आवश्यक उपकरण क्रय करने के लिए, पुस्तकालय में आवश्यक पुस्तकों को उपलब्ध कराने के लिए एवं छात्रों को दी जाने वाली सुख/सुविधाओं के लिए यह राशि व्यय की गयी है इसलिए उक्त आधार पर उन्होंने फीस रूपये 23,19,432/- निर्धारित किए जाने का अनुरोध किया है।

11. दिनांक 08/08/2024 को समिति द्वारा निरीक्षण के दौरान अभिषेक आई मिश्रा मेमोरियल कॉलेज एंड रिसर्च, जुनवानी, भिलाई, के निरीक्षण के समय संस्था के प्रतिनिधि डॉ. अनिल आर.शेरके, डीन उपस्थित हुए। उन्हें सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया। अपनी ओर से प्रस्तावित फीस के संबंध में तथ्यों को प्रस्तुत किया और दस्तावेज भी प्रस्तुत किए। उन्होंने अपनी ओर से रू. 20,00,000/- प्रतिवर्ष प्रस्तावित की है।

उसके संबंध में यह तथ्य बताया गया कि फेकल्टी और अतिरिक्त मानव संसाधन के लिए उन्हें अत्यधिक राशि व्यय करनी पड़ती है, ताकि अच्छे शिक्षक छात्रों के लिए उपलब्ध हो सके। उन्होंने यह भी बताया कि संस्था ने लगभग 26,60,00,000/- का लोन भी लिया है और यह लोन मेडिकल कॉलेज के निर्माण, हॉस्टल के निर्माण एवं लेबोरेटरी को व्यवस्थित रखने के लिए, आवश्यक उपकरण क्रय करने के लिए, पुस्तकालय में आवश्यक पुस्तकों को उपलब्ध कराने के लिए एवं छात्रों को दी जाने वाली सुख/सुविधाओं के लिए यह राशि व्यय की गयी है इसलिए उक्त आधार पर उन्होंने फीस रूपये 20,00,000/- निर्धारित किए जाने का अनुरोध किया है।

12. जहां तक लोन पर ब्याज का प्रश्न है, यह राशि छात्रों के उपर नहीं लादी जा सकती है, जैसा कि उपर PA Inamdar Vs. State of Maharashtra (2005 AIR SCW 3923) वाले प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का उल्लेख किया जा चुका है। यह तथ्य पूर्व में शासन द्वारा गठित फीस कमेटी, जिसके अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति झा थे, के समक्ष भी आया था । उन्होंने लोन पर ब्याज को फीस की गणना में शामिल करने से इंकार किया है एवं सभी शिक्षण संस्थाओं के शुल्क निर्धारण में यही सिद्धांत को समिति ने अपनाया भी है और यह इस्लामिक स्टेट सेंटर के निर्णय में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उल्लेखित है । संस्था को अपने स्त्रोतों का उपयोग करना चाहिए और उसके आधार पर ही राशि खर्च की जानी चाहिए। इस तरह के कोई भी व्यय छात्रों के उपर नहीं लादे जा सकते, क्योंकि शिक्षण संस्थाएं व्यापार और लाभ कमाने के उद्‌देश्य से नहीं होनी चाहिए, जैसा कि उपर वर्णित न्यायदृष्टांतों से स्पष्ट है और अधिनियम, 2008 में भी इस बात का उल्लेख धारा-9 में है कि समिति द्वारा निर्धारित की गई फीस शिक्षा में मुनाफाखोरी एवं उसके वाणिज्यीकरण के लिए नहीं होगी ।

13. शिक्षण संस्थाओं द्वारा शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ के वेतन आदि में जो राशि व्यय की जा रही है वह तो फीस के निर्धारण में विचार में ली ही जाएगी, लेकिन

उतनी ही फीस स्वीकार योग्य रहेगी, जो यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित वेतनमान के अनुरूप होगी । यदि शिक्षण संस्थाएं उससे अधिक राशि व्यय कर रही है, तो यह भार अतिरिक्त रूप से छात्रों पर अधिरोपित नहीं किया जा सकता ।

14. इसके अतिरिक्त समिति का यह भी अभिमत है कि संस्था द्वारा जरूरी आवश्यक खर्च किए जा रहे हैं वह भी फीस के निर्धारण में विचार में लिए जाएंगे, जो महत्वपूर्ण शीर्ष है, वह निम्नानुसार माने जा सकते हैं:-

Promiment Heads (महत्वपूर्ण शीर्ष)

1. **Teaching staff expenditure**
2. **Non-Teaching Staff expenditure**
3. **Workshop consumable**
4. **Electricity expenditure**
5. **Telephone, internet and softwares**
6. **Water and & Cleaning expenditure**
7. **Travel & Conveyance**
8. **Repairing & Maintenance**
9. **Operation & Administrative expenses**
10. **Printing, Postage and Stationary**
11. **Insurance, Tax**
12. **Processing fees (AFRC, University, Council and Deptt)**
13. **Educational Tour exp.**
14. **Sports & NSS**
15. **Annual social exp.**
16. **Research & Development**
17. **Other misc. expenses**

15. ए.एफ.आर.सी. द्वारा अधिनियम, 2008 की धारा-9 में वर्णित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए संस्था का भ्रमण किया गया, ताकि संस्था को उचित प्रोत्साहन राशि (इंसेटिव) विकास हेतु दी जा सके । निरीक्षण के समय संस्था की अधोसंरचना, जो सुविधाएं संस्थान में उपलब्ध हैं तथा शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ की स्थिति एवं छात्रों

को जो सुविधाएं प्राप्त हो रही है उसके संबंध में छात्रों का क्या अभिमत है आदि तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रोत्साहन राशि निर्धारित करने के लिए समिति ने तीन श्रेणियां निर्धारित की है । (अ) बहुत अच्छा **(Very Good)**, (ब) अच्छा **(Good)**, (स) औसत या साधारण **(Average)**

16. फीस निर्धारण किए जाने के पूर्व यह विचार किया जाना भी उचित होगा कि छत्तीसगढ़ में न केवल मेडिकल शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाएं, जिससे छत्तीसगढ़ के अधिक से अधिक छात्र मेडिकल शिक्षा प्राप्त कर सकें । अतः इस हेतु छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय को विचार में रखना आवश्यक है, वहीं यह भी विचार किया जाना आवश्यक है कि संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय ने अपने स्थापना आदि का खर्च सही रूप से प्रस्तुत किया है, जिससे कि संस्था अपने शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार कर सकें । अतः छात्र एवं महाविद्यालय दोनों के हितों को विचार में रखते हुए यह आवश्यक होगा कि युक्तियुक्त और न्यायसंगत तरीके से फीस का निर्धारण माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायदृष्टांतो के परिप्रेक्ष्य में तथा छत्तीसगढ़ की आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियों तथा पूर्व में यदि कोई फीस निर्धारित की गई है तो उसे भी विचार में रखते हुए किया जाना युक्ति संगत होगा । अतः इन समस्त बिन्दुओं पर विचार करते हुए फीस का निर्धारण किया जा रहा है ।

17. इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन विरूद्ध स्टेट ऑफ कर्नाटका राज्य के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पैरा-156 में जो **Observation** (अवलोकन) उल्लेखित किया है वह निम्नानुसार है :-

> **"While this court has not laid down any fixed guidelines as regards fee structure, in my opinion, reasonable surplus should ordinarily vary from 6% to 15% as such surplus would be utilized for expansion of the system and development of education"**

18. छ.ग. राज्य सम्पन्न राज्य नहीं है । इस राज्य में वर्ष 2012 से 2021 के दौरान प्रति व्यक्ति आय रू. 1,04,943/- है, मध्यप्रदेश में वर्ष 2012 से 2021 के दौरान

प्रति व्यक्ति आय रू. 1,24,685/- है, महाराष्ट्र में वर्ष 2012 से 2021 के दौरान प्रति व्यक्ति आय रू. 1,93,121/- है एवं भारत की वर्ष 2012 से 2021 के दौरान प्रति व्यक्ति आय रू. 1,50,000/- है ।

19. छ.ग. राज्य चूंकि पूर्व में मध्यप्रदेश राज्य का ही भाग रहा है । अन्य पड़ोसी राज्य जैसे मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र में एम.बी.बी.एस. कोर्स के लिए जो फीस निर्धारित की गयी है उसका भी यहां पर वर्णन किया जाना तुलनात्मक अध्ययन के लिए आवश्यक है ।

फीस का तुलनात्मक विवरण राज्यों के बीच निम्नानुसार है :-

स.क्र.	संस्था का नाम	वर्ष जिसके लिए फीस का निर्धारण किया गया	कुल फीस
1.	Chirayu Medical College Hospital, Bhopal (M.P.)	2023-24	13,25000
2.	Amaltas Institute of Medical Sciences, Dewas Road, Ujjain (M.P.)	2023-24	12,32000
3.	Mahaveer Institute of Medical Sciences Research, Badwai, Bhopal(M.P.)	2023-24	10,0000
4.	R.D. Gardi Medical College, Ujjain (M.P.)	2023-24	9,00,000
5	Sukh Sagar Medical College Hospital, Mouja, Chargawan, Jabalpur, Madhya Pradesh	2023-24	12,60,000
6	Ram Krishna medical College Hospital Research Centre Bhopal	2023-24	9,00,000
5.	Vedanta Institute of Medical Institute of Medical Sciences, Palghar, (Maharashtra)	2023-24	16,87,000
6.	Smt. KashibaiNavale Medical College,Narhe, Pune(Maharashtra)	2023-24	14,22,500
7.	N.K.P Salve Institute of Medical Sciences and Reserch Centre, Nagpur, (Maharashtra)	2023-24	11,90,000
8.	SMBT Institute of Medical Scieneds and Research, Nashik , (Maharashtra)	2023-24	11,82,000

9.	K.J. Somaiya Medical and REserch Centre, Sion, Mumbai, (Maharashtra)	2023-24	11,27,500
10.	B K L Walawalkar Rural Medical College, Chiplun, Ratnagiri, (Maharashtra)	2023-24	10,59,000
11.	Ashwini Rural Medical College Hospital &Reserch Centre, Sholapur, (Maharashtra)	2023-24	9,86,000
12.	M.I.M.S.R Medical College, Latur, (Maharashtra)	2023-24	8,80,000
13.	A.C.P.M. Medical College, Dhule, (Maharashtra)	2023-24	8,28,000
14.	Prakash Institute of Medical Sciences and Reserch, Sangli, (Maharashtra)	2023-24	7,05,500

20. इस तरह उपर जो पड़ोस के राज्यों की फीस का उल्लेख किया गया है, उसके अनुसार देखा जाए तो मध्यप्रदेश राज्य में अधिकतम फीस रू. 13,25,000/- एवं न्यूनतम रू. 9,00,000/- है । वहीं महाराष्ट्र राज्य में अधिकतम फीस रू. 16,87,000/- एवं न्यूनतम रू. 7,05,500/- है । इसमें कुछ नये कॉलेज भी हैं, जिनकी फीस पुराने कॉलेज की अपेक्षा कम रखी गई है, क्योंकि उतने संसाधन नये कॉलेज में नहीं पाए गये तथा कुछ कॉलेजों की फीस ज्यादा है, क्योंकि फीस के निर्धारण में जो गणक विचार योग्य है, उसे ही विचार में लिया जाकर फीस का निर्धारण किया जा सकता है ।

21. पूर्व में राज्य में संचालित श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस, जुनवानी भिलाई छ.ग. एवं रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस, गोढ़ी भानसोज, रायपुर छ.ग. एवं श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस, मोवा रायपुर छ.ग. में संचालित एम.बी.बी.एस. कोर्स हेतु शिक्षण सत्र 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 एवं 2024-2025 के लिए फीस का पुनरीक्षण किया गया था, जिसकी फीस निम्नवत् है :-

स.क्र.	छत्तीसगढ़ राज्य के निजी एम.बी.बी.एस. कॉलेजों के नाम	वर्ष जिसके लिए फीस पुनरीक्षण किया गया	Fees(Inclusive of Growth & Development Charges, Weightage and all other Misc. Fees per year per student and also for half year Rs.
1.	शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस, जुनवानी, भिलाई छ.ग.	2022-2023, 2023-2024 एवं 2024-2025	Rs.7,99,187/- per year upto course tenure of four year and for remaining half year Rs. 3,99,593.5
2.	रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस, गोढ़ी, भानसोज, रायपुर छ.ग.	2022-2023, 2023-2024 एवं 2024-2025	Rs.7,45,187/- per year upto course tenure of four year and for remaining half year Rs. 3,72,593.5
3	श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस, मोवा रायपुर छ.ग.	2021-22, 2022-23 एवं 2023-24	Rs7,50,187/- per year upto course tenure of four year and for remaining half year Rs. 3,75,093.5/-

22. <u>एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में फीस पुनर्निर्धारण हेतु तरीका एवं गणना</u> : -

1. श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस एंड रिसर्च द्वारा सुनवाई के समय संस्था के डीन ने व्यक्त किया कि 150 छात्रों के लिए 186 विभिन्न श्रेणी के कुल शिक्षक होना चाहिए। उनके अनुसार उनके यहां 199 शैक्षणिक स्टाफ हैं (प्रोफेसर-17, एसोसिएट प्रोफेसर-39, असिस्टेंट प्रोफेसर-52, ट्यूटर-33, सीनियर रेसीडेंस-55, जूनियर रेसीडेंस-01, क्लीनिकल साईकोलॉजिस्ट-01, स्टेटिसियन-01), नॉन टीचिंग स्टॉफ-404, नर्सिंग स्टॉफ-407 तथा इसके अतिरिक्त प्रशासनिक कार्य के लिए भी बहुत से अधिकारी कर्मचारी नियुक्त किये गए हैं। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने एम.एस.आर. 2020 के स्थान पर 2023 लागू कर दिया है, जिससे अब व्याख्यान थियेटर 02 की बजाए 04, प्रयोगशालाएं 04 के बजाए 22, ऑपरेशन थियेटर बड़े 04 के बजाए 09, शिक्षण कक्ष 50 सीट के 02 के बजाए 04 और 25 सीट के 02 के बजाए 04, ऑक्सीजन प्लांट अनिवार्य कर दिया गया है, शैक्षणिक स्टॉफ 97 के स्थान पर 205 और नर्सिंग स्टॉफ 205 के स्थान पर 372 कर दिए

गये हैं। पहले 150 सीट के लिए 330 बिस्तर वाला अस्पताल आवश्यक था, परन्तु अब 605 बिस्तर का अस्पताल अनिवार्य हो गया है, जिससे पूर्व की अपेक्षा खर्चों में वृद्धि लगभग दुगुनी से अधिक हो गई है। उन्होंने खर्चों के विवरण में केपिटल खर्च वर्ष 2024-25 में रूपये 14,27,00,000.00, वर्ष 2025-26 में रूपये 10,47,00,000.00 एवं वर्ष 2026-27 में रूपये 9,01,00,000.00 एवं चालू खर्च वर्ष 2024-25 में रूपये 60,45,05,000.00, वर्ष 2025-26 में रूपये 69,15,66,750.00 एवं वर्ष 2026-27 में रूपये 79,14,16,762.50 संभावित व्यय बताया है। छात्रों की संख्या प्रथम वर्ष 150, दूसरे वर्ष में 300 और तीसरे वर्ष में 450 हो जावेगी और कुल खर्च रूपये 2,08,74,88,513.00 संभावित है, जिससे प्रति छात्र रूपये 23,19,432.00 खर्च आता है।

2. अभिषेक आई मिश्रा मेमोरियल कॉलेज एंड रिसर्च, जुनवानी, भिलाई के निरीक्षण के समय संस्था के डीन एवं अध्यक्ष दोनों ने व्यक्त किया कि उन्होंने अपने यहां 150 सीट के हिसाब से शैक्षणिक स्टॉफ और अन्य स्टॉफ रखा है। उनके अनुसार उनके यहां 230 शैक्षणिक स्टाफ हैं (प्रोफेसर-30, एसोसिएट प्रोफेसर-30, असिस्टेंट प्रोफेसर-65, ट्यूटर-38, सीनियर रेसीडेंस-65, स्टेटिसियन-01), नॉन टीचिंग स्टॉफ, नर्सिंग स्टॉफ तथा इसके अतिरिक्त प्रशासनिक कार्य के लिए भी बहुत से अधिकारी कर्मचारी नियुक्त किये गए हैं। उन्होंने व्यक्त किया है कि गत दो वर्षों का आवर्ती खर्च जिसमें मूल ह्रास की राशि शामिल नहीं है, निम्नानुसार है - वर्ष 2022-23 राशि रू. 4,09,12,122.00, वर्ष 2023-24 राशि रू. 8,79,89,346.00 तथा अनावर्ती खर्च वर्ष 2022-23 राशि रू. 6,55,41,690.00, वर्ष 2023-24 राशि रू. 8,22,67,260.00। उनके अनुसार उनके खर्चों का 60 से 70 प्रतिशत फैकल्टी और कर्मचारियों के वेतन और उनके लाभ के लिये होता है क्योंकि नेशनल

मेडिकल काउंसिल के द्वारा दिये गए निर्देशों के लिये यह आवश्यक है और यू.जी.सी. वेतनमान एवं महंगाई भत्ता को देने से वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस मद में राशि 5.08 करोड़ रूपये खर्च होगा।

3. उपरोक्त संस्था श्री गंगाजली एजुकेशन सोसायटी द्वारा संचालित हो रही है और इस समिति का केवल यही एक पाठ्यक्रम नहीं है, वे विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं। उनकी ओर से वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 की आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। वित्तीय वर्ष 2021-22 में रूपये 18,88,43,960.00 का लाभ वर्णित है तथा खर्चे में मूल्य ह्रास के रूप में रूपये 24,07,93,267.00 की राशि का भी उल्लेख है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में रूपये 39,01,94,552.00 का लाभ वर्णित है तथा खर्चे में मूल्य ह्रास के रूप में रूपये 25,02,74,617.00 की राशि का भी उल्लेख है। उपरोक्त दोनों ऑडिट रिपोर्ट संबंधित संस्था की मूल सोसायटी की है। संबंधित संस्था की वित्तीय वर्ष 2022-23 की बैलेंश शीट भी प्रस्तुत की है, जिसमें रूपये 4,53,49,443.00 की हानि वर्णित है और खर्चे में मूल ह्रास के रूप में रूपये 59,37,675.00 की राशि का भी उल्लेख है। संस्था की ऑडिट रिपोर्ट पर आगे सदस्य (वित्त) की टीप दर्ज की जा रही है लेकिन सामान्य रूप से सदस्य (वित्त) का यह कहना है कि मूल्य ह्रास वास्तविक खर्चे की श्रेणी में नहीं आता है, यह व्यावसायिक संस्थानों के लिए विशेष रूप से उपयोग में लिया जाता है ताकि व्यावसायिक दृष्टिकोण से उन संस्थाओं में लाभ-हानि और संस्था की स्थिति को देखा जा सके। सदस्य (वित्त) का यह कहना है कि शैक्षणिक संस्थाओं की शुल्क के निर्धारण के लिए जो मुख्य आधार है वह उनका नो-प्राफिट नो-लॉस के आधार पर संस्थान का संचालन होना चाहिए। संस्था की ऑडिट रिपोर्ट पर आगे सदस्य (वित्त) की टीप दर्ज की जा रही है

4. श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस एंड रिसर्च संस्था श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट द्वारा संचालित हो रही है और इस ट्रस्ट का केवल यही एक पाठ्यक्रम नहीं है, वे विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं और खर्चे आदि के संबंध में समिति की एकजाई बैलेंस शीट ही प्रस्तुत की गई है। प्रत्येक कोर्स का पृथक-पृथक विवरण उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। उनकी ओर से वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 की आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। वित्तीय वर्ष 2021-22 में रूपये 1,61,436,262.00 का लाभ वर्णित है तथा खर्चे में मूल्य ह्रास के रूप में रूपये 9,01,87,068.00 की राशि का भी उल्लेख है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में रूपये 18,91,73,058.00 का लाभ वर्णित है तथा खर्चे में मूल्य ह्रास के रूप में रूपये 10,10,10,600.00 की राशि का भी उल्लेख है। सदस्य (वित्त) का यह कहना है कि मूल्य ह्रास वास्तविक खर्चे की श्रेणी में नहीं आता है, यह व्यवसायिक संस्थानों के लिए विशेष रूप से उपयोग में लिया जाता है ताकि व्यवसायिक दृष्टिकोण से उन संस्थाओं में लाभ-हानि और संस्था की स्थिति को देखा जा सके। सदस्य (वित्त) का यह कहना है कि शैक्षणिक संस्थाओं की शुल्क के निर्धारण के लिए जो मुख्य आधार है वह उनका नो-प्राफिट नो-लॉस के आधार पर संस्थान का संचालन होना चाहिए। शैक्षणिक संस्थायें लाभ कमाने के उद्देश्य से संचालित नहीं की जाना है, संस्था की ऑडिट रिपोर्ट पर आगे सदस्य (वित्त) की टीप दर्ज की जा रही है।

5. दोनों संस्थाओं के डीन ने यह भी कहा कि हॉस्टल के लिए पूर्व के आदेशों में वैकल्पिक वर्णित किया गया है जबकि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 57 में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने जो विनियम बनाए जो कि दिनांक 26 अक्टूबर 2020 के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित है उसके क्लास A.3 यह वर्णित है कि किसी भी मेडिकल कॉलेज

को उसकी छात्र क्षमता का 75 प्रतिशत छात्रों के लिए हॉस्टल होना चाहिए और सभी महिला छात्रों के लिए 100 प्रतिशत रहने की सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए इसलिए हॉस्टल सुविधा को वैकल्पिक नहीं किया जा सकता है एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसी मेडिकल कॉलेज के संदर्भ में निर्देश नहीं दिया है, उन्होंने सुनवाई के समय यह भी कहा कि हॉस्टल, मेस, ट्रांस्पोर्टेशन, शैक्षणिक शुल्क का भाग नहीं है इसलिए उसके संबंध में शैक्षणिक संस्था को पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए ।

6. दोनों संस्थाओं के डीन ने यह भी व्यक्त किया कि आस पडोस के अन्य राज्यों में एम.बी.बी.एस. की फीस रू. 14 लाख रूपए प्रतिवर्ष है इस तथ्य पर भी विचार करते हुए और उपर वर्णित खर्चों आदि को देखते हुए फीस जो उन्होंने प्रस्तावित की है, वह समुचित है ।

7. सर्वप्रथम स्टाफ के संख्या पर भी विचार किया जाए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा जो विनियम "प्रति वर्ष एम.बी.बी.एस. दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें "नए चिकित्सा संस्थानों की स्थापना के तहत दिशा-निर्देश, नए चिकित्सा पाठ्यक्रमों की शुरूआत, मौजूदा पाठ्यक्रमों के लिये सीटों की वृद्धि और मूल्यांकन और रेटिंग विनियमन, 2023" बनाया गया है उसके साथ अनुलग्न में 50-100-150-200-250 छात्रों के लिए जो-जो चीजों की आवश्यकता कॉलेज में होनी चाहिए जिसमें उपकरण, शिक्षक-छात्र अनुपात, बैड, लेबोरेटरी का उल्लेख है उसमें शिक्षक/छात्रों के अनुपात के संबंध में नेशनल मेडिकल कौंसिल द्वारा एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम की 150 सीटों के लिए मेडिकल कॉलेज हेतु छात्र-शिक्षकों का अनुपात (Ratio) निर्धारित किया गया है, उसके अनुसार प्रोफेसर-19, एसोसिएट प्रोफेसर-40, असिस्टेंट प्रोफेसर-55, कुल - 114 तथा रेसिडेंट के लिए, सिनियर रेसीडेंट-58, डिमांस्ट्रेटर-32, कुल रेसीडेंट-90 निर्धारित की गई है। एवं 100 सीटों के लिए

मेडिकल कॉलेज हेतु छात्र-शिक्षकों का अनुपात (Ratio) निर्धारित किया गया है, उसके अनुसार प्रोफेसर-17, एसोसिएट प्रोफेसर-27, असिस्टेंट प्रोफेसर-41, कुल - 85 तथा रेसिडेंट के लिए, सिनियर रेसीडेंट-40, डिमांस्ट्रेटर-25, कुल रेसीडेंट-65 निर्धारित की गई है। निरीक्षण के समय दोनों ही शैक्षणिक संस्थाओं में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक स्टॉफ पूरे नहीं मिले।

8. शैक्षणिक संस्था को व्यापार या व्यवसाय की श्रेणी में नहीं माना जा सकता जैसा कि उपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पीए इनामदार के प्रकरण में वर्णित तथ्यों का उल्लेख किया जा चुका है । शैक्षणिक संस्था को कुछ अतिरिक्त राशि अवश्य मिले ताकि वे अपने विकास के आवश्यक कार्य कर सकें परन्तु लाभ लेने के लिए शैक्षणिक संस्था चलायी जाए यह उचित नहीं होगा जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न न्यायदृष्टांत जिनका उपर उल्लेख किया गया है में वर्णन किया ही है ।

9. संबंधित शिक्षण संस्था द्वारा स्वयं का अस्पताल भी संचालित किया जा रहा है, जिसे अपने व्यय पर ही वे संचालित कर रहे हैं । छात्रों की फीस पर वह आश्रित नहीं है, संस्था को इससे भी आय प्राप्त होती है और इसके लिए जो शैक्षणिक स्टाफ है, उनका भी उपयोग संस्था द्वारा लिया जाता है, उसमें होने वाले व्यय को फीस में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, बल्कि वह संस्था की आय का ही स्त्रोत है।

10. फीस के निर्धारण के लिये अभिषेक आई. मिश्रा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज द्वारा प्रस्तावित फीस रू. 20,00,000/- की गई है। संबंधित संस्थान से उनकी ऑडिट रिपोर्ट और साथ ही एकाउंट का टैली डाटा बुलवाया गया। इस समिति के सदस्य (वित्त) द्वारा उसका परीक्षण कर अपना प्रतिवेदन दिया है -

<u>वित्तीय वर्ष 2023-24 के खर्चों का पूंजीकरण</u> :- चूंकि कॉलेज का पहला बैच वित्तीय वर्ष 2024-25 में आयेगा इसलिये वित्तीय वर्ष 2023-24

में संस्था के द्वारा किये गये खर्चों को पूंजीगत व्यय माना जायेगा। उनके अनुसार यह दृष्टिकोण इस सिद्धांत के अनुरूप है कि नए उपक्रम (यह मेडिकल कॉलेज) की स्थापना से संबंधित खर्चों को पूंजीकृत किया जाना चाहिये और भविष्य की अवधि में इसे व्यवस्थित किया जाना चाहिये जब संस्थान राजस्व उत्पन्न करना शुरू कर देगा। इसके द्वारा वित्तीय वर्ष में किये गए खर्च का अधिक सटीक ढंग से प्रतिनिधित्व होगा और वर्तमान वर्ष के खर्चों को बढ़ाकर लाभप्रदता और वित्तीय योजना को विकृत होने से बचा जा सकेगा।

फीस के निर्धारण के राजस्व और लागत का औचित्य :- कॉलेज को वर्तमान में **50** छात्रों के प्रवेश की अनुमति प्राप्त हुई है। संस्था की ऑडिट रिपोर्ट में पहले वर्ष में अस्पताल सेवाओं से या छात्रों से शुल्क से कोई राजस्व प्राप्त न होना उल्लेख किया गया है, इसलिये आगामी बैचों के लिये एक उचित शुल्क संरचना स्थापित करना आवश्यक हो जाता है। बढ़ते मरीजों की संख्या (निरीक्षण के दिन दोपहर **12** बजे तक ओपीडी में **1641** मरीज आए यह उल्लेखित है) से अस्पताल को प्राप्त होने वाले राजस्व में वृद्धि की संभावना का संकेत मिलता है, जिसे वित्तीय विश्लेषण में शामिल किया ही जाना चाहिये।

शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) की गणना : एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से **7** प्रतिशत की छूट दर के साथ **4** बैचों में प्राप्त राजस्व पर विचार किया जावेगा, ताकि पैसे के समय मूल्य को ध्यान में रखा जा सके। **4** वर्षों में संचयी NPV 362.43 होना चाहिये, जिसका अर्थ है कि पहले वर्ष के राजस्व पर **3.6243** कर गुणनकारक रहेगा। यह गणना यह सुनिश्चित करती है कि शुल्क संरचना कॉलेज की दीर्घकालिक वितत्तीय स्थिरता को दर्शाती है।

वर्ष	छात्रों की संख्या	प्रति बैच फीस	NPV@ 7%
1	**50**	**100**	**100**

2	50+50	100	93.46
3	50+50+50	100	87.34
4	50+50+50+50	100	81.63
		कुल NPV	362.43

फीस का निर्धारण : इसलिये शुल्क को 3.6243 के गुणक का उपयोग करके सेट किया जाना चाहिये, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रति छात्र शुल्क चार वर्षीय अवधि में पूंजीगत खर्चों को पर्याप्त रूप से कव्हर करता है।

खर्चों की विस्तृत समीक्षा :-

एआईएमएमसीआर को आवेदन शुल्क (16.06 लाख) : यह एक बार का व्यय है और इसे आवर्ती राजस्व व्यय (नियमित राजस्व खर्च) के रूप में नहीं माना जा सकता। इसे पूंजीकृत या कई वर्षों में फैलाया जाना चाहिये, बजाय इसके कि इसे पहले वर्ष में ही पूरी तरह से व्यय किया जाये।

अस्पताल उपभोज्य खर्च (81.59 लाख) : चूंकि ओपीडी से आय केवल 9.77 लाख दर्शायी गई है और कई खर्च या तो पूंजीगत प्रकृति के हैं या भविष्य के उपयोग के लिये स्टॉक के रूप किये गए हैं, इसलिये उन्हें वर्तमान वर्ष में पूरी तरह व्यय नहीं किया जाना चाहिये, इसके बजाय उन्हें पूंजीगत व्यय या सूची के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिये।

पूर्व अवधि व्यय (48.33 लाख) : इस राशि को राजस्व व्यय के बजाय पूंजीकृत किया जाना चाहिये क्योंकि यह पिछले अवधियों से संबंधित है और कॉलेज की स्थापना से संबंधित हो सकता है।

स्टॉफ वेतन (प्रतिमाह 40 लाख+से अधिक) : खातों के अवलोकन से वेतन भुगतान के संबंध में अस्पष्टता दिखती है और संपूर्ण दस्तावेज नहीं दिखाने से संदेहास्पद भी हो जाती है क्योंकि प्रतिमाह 40 लाख से अधिक

राशि का भुगतान अननेम्ड एम्प्लायी को किया जाना दर्शाया जा रहा है इसलिये इसकी विस्तुत जांच होना चाहिये और इसे वैध खर्चे के बजाय धन की गड़बड़ी (diversion of fund) ही कहा जा सकता है।

<u>संशोधित व्यय गणना</u> : उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर पहले वर्ष के लिये मूल कुल व्यय (8.53 करोड़ रूपये) को संशोधित कर केवल रू. 228 लाख ही किया जाना चाहिये। तद्नुसार 50 छात्रों के बैच के लिये प्रति छात्र शुल्क लगभग रू. 4.56 लाख होना चाहिये।

<u>निष्कर्ष</u> : सटीक शुल्क निर्धारण सुनिश्चित करने के लिये वित्तीय वर्ष 2023-24 के सेटअप खर्चों को पूंजीकृत करना और राजस्व और व्यय गणनाओं को वित्तीय प्रतिबद्धताओं की दीर्घकालीक प्रकृति को प्रतिबिंबित करने के लिये समायोजित करना महत्वपूर्ण है। ऐसा करके शुल्क संरचना कॉलेज की वास्तविक वित्तीय आवश्यकताओं के साथ अधिक संरेखित हो जायेगी, जिससे छात्रों के लिये स्थिरता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी।

11. फीस के निर्धारण के लिये श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईसेस एंड रिसर्च द्वारा प्रस्तावित फीस रू. 23,19,432/- की गई है। संबंधित संस्थान से उनकी ऑडिट रिपोर्ट और साथ ही एकाउंट का टैली डाटा बुलवाया गया। इस समिति के सदस्य (वित्त) द्वारा उसका परीक्षण कर अपना प्रतिवेदन दिया है

<u>वित्तीय वर्ष 2023-24 के खर्चों का पूंजीकरण</u> :- चूंकि कॉलेज का पहला बैच वित्तीय वर्ष 2024-25 में आयेगा इसलिये वित्तीय वर्ष 2023-24 में संस्था के द्वारा किये गये खर्चों को पूंजीगत व्यय माना जायेगा। उनके अनुसार यह दृष्टिकोण इस सिद्धांत के अनुरूप है कि नए उपक्रम (यह मेडिकल कॉलेज) की स्थापना से संबंधित खर्चों को पूंजीकृत किया जाना

चाहिये और भविष्य की अवधि में इसे व्यवस्थित किया जाना चाहिये जब संस्थान राजस्व उत्पन्न करना शुरू कर देगा। इसके द्वारा वित्तीय वर्ष में किये गए खर्च का अधिक सटीक ढंग से प्रतिनिधित्व होगा और वर्तमान वर्ष के खर्चों को बढ़ाकर लाभप्रदता और वित्तीय योजना को विकृत होने से बचा जा सकेगा।

फीस के निर्धारण के राजस्व और लागत का औचित्य :- कॉलेज को वर्तमान में 150 छात्रों के प्रवेश की अनुमति प्राप्त हुई है। संस्था की ऑडिट रिपोर्ट में पहले वर्ष में अस्पताल सेवाओं से या छात्रों से शुल्क से कोई राजस्व प्राप्त न होना उल्लेख किया गया है, इसलिये आगामी बैचों के लिये एक उचित शुल्क संरचना स्थापित करना आवश्यक हो जाता है। बढ़ते मरीजों की संख्या (निरीक्षण के दिन दोपहर 12 बजे तक ओपीडी में 700 मरीज आए यह उल्लेखित है) से अस्पताल को प्राप्त होने वाले राजस्व में वृद्धि की संभावना का संकेत मिलता है, जिसे वित्तीय विश्लेषण में शामिल किया ही जाना चाहिये।

विश्लेषण और अवलोकन : -

दीर्घकालीन स्थिर खर्च : स्टॉफ और सुविधाएं दीर्घकालीन दृष्टिकोण से बनाई और नियुक्त की गई है, जिससे ये स्थिर खर्च की श्रेणी में आती है। पहले वर्ष में खर्च किये गए पूरे व्यय को सिर्फ एक बैच के राजस्व से मिलान करना तर्कसंगत नहीं है। एक व्यावहारिक दृष्टिकोण यह होगा कि सभी 4 बैचों के राजस्व को ध्यान में रखते हुए, लागतों को समय के साथ मेल कराने के लिये 7 प्रतिशत की छूट दर लागू की जाये।

वर्ष	छात्रों की संख्या	प्रति बैच फीस	NPV@ 7%
1	150	100	100

2	150+150	100	93.46
3	150+150+150	100	87.34
4	150+150+150+150	100	81.63
		कुल NPV	362.43

शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) की गणना : 4 वर्षों में संचयी NPV 362.43 होना चाहिये, जिसका अर्थ है कि पहले वर्ष के राजस्व पर 3.6243 के गुणक का उपयोग करके की जानी चाहिये, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि यह 4 वर्षीय अवधि में पूंजीकृत खर्चों को पर्याप्त रूप से कव्हर करती है।

विशिष्ट खर्चों पर टिप्पणी :-

एआईएमएमसीआर को आवेदन शुल्क (16.06 लाख) : यह एक बार का व्यय है और इसे आवर्ती राजस्व व्यय (नियमित राजस्व खर्च) के रूप में नहीं माना जा सकता। इसे पूंजीकृत या कई वर्षों में फैलाया जाना चाहिये, बजाय इसके कि इसे पहले वर्ष में ही पूरी तरह से व्यय किया जाये।

भवन का नवीनीकरण : कॉलेज के लिये इस्तेमाल किया गया भवन नया नहीं है बल्कि यह एक पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज का भवन है, जिसे चिकित्सा कॉलेज के लिये नवीनीकृत किया गया है। इस नवीनीकरण की लागत को पूंजीकृत किया जाना चाहिये।

वित्तीय खर्च (रू. 2.70 करोड़) : यह खर्च एक टर्म लोन से संबंधित है लेकिन इन फंड्स के अंतिम उपयोग को सत्यापित नहीं किया जा सकता है क्योंकि सभी लेनदेन SRLKT (श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट मुख्यालय) के लेजर खाते के माध्यम् से किया गया है। यह पारदर्शिता के बारे में चिंता पैदा करता है।

<u>वाहन संचालन खर्च (रू. 49.80 लाख)</u> : मशीनरी या बुनियादी ढांचे के परिवहन के लिये किये गए भुगतानों को पूंजीकृत किया जाना चाहिये और राजस्व खर्च के रूप में इसे नहीं माना जाना चाहिये। इसमें हाईवे सेवाओं को किये गये भुगतान भी शामिल हैं।

<u>भूमि पंजीकरण खर्च (रू. 39.00 लाख)</u> : यह एक पूंजीगत व्यय है और इसे राजस्व खर्च के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता।

<u>वेतन और मजदूरी (रू. 14.99 करोड़)</u> : लेजर से यह स्पष्ट नहीं होता है कि ये खर्च भवन और बुनियादी ढांचे के विकास के लिये मजदूरी से संबंधित है या अस्पताल संचालन से संबंधित है। चूंकि न तो अस्पताल और न ही कॉलेज वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान संचालित थे, इसलिये ऐसे खर्च न्यायसंगत नहीं लगते।

<u>यात्रा और परिवहन खर्च :</u> लेजर के अवलोकन से यह देखा गया है कि संकाय के व्यक्तिगत खर्चे, जैसे श्यामा होटल्स एंड रिसॉर्ट्स (रू. 7.7 लाख) को कॉलेज के खर्च के रूप में दर्ज किया गया है। इस तरह के विलासितापूर्ण खर्चों का वहन शैक्षणिक संस्थानों द्वारा नहीं किया जाना चाहिये।

<u>संशोधित व्यय गणना</u> : उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर प्रारंभिक अवधि के मूल व्यय (रू. 2315.87 लाख) को संशोधित करके (2315.186. 10-22.55-270.64-49.80-39-953.00-7.79=786.99 लाख) किया जाना चाहिये। तद्नुसार 150 छात्रों के बैच के लिये प्रति छात्र शुल्क लगभग 5.2466 लाख रूपये ही होगा।

<u>निष्कर्ष :</u> सटीक शुल्क निर्धारण सुनिश्चित करने के लिये वित्तीय वर्ष 2023-24 के सेटअप खर्चों को पूंजीकृत करना और राजस्व और व्यय गणनाओं को वित्तीय प्रतिबद्धताओं की दीर्घकालीक प्रकृति को प्रतिबिंबित

करने के लिये समायोजित करना महत्वपूर्ण है। ऐसा करके शुल्क संरचना कॉलेज की वास्तविक वित्तीय आवश्यकताओं के साथ अधिक संरेखित हो जायेगी, जिससे छात्रों के लिये स्थिरता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी।

12. इस तरह संस्था की ओर से प्रस्तावित फीस के संबंध में उनके खातों का विवरण और व्यय के आंकड़े हैं वे विरोधाभाषी हैं और अलग-अलग आंकड़े देने से उनकी विश्वसनीयता भी संदिग्ध हो जाती है । इस तरह संस्था द्वारा अपने आय/खर्चे के विवरण दिए गये हैं, वे पूरी संस्था के एकजाई है सही तथ्यों का उल्लेख नहीं दर्शाया गया है । काल्पनिक खर्चे काफी राशि दिखलायी जा रही है। इस तरह उनके द्वारा प्रस्तुत खातों को देखकर खर्चों की गणना कर फीस का आंकलन सम्भव नहीं है ।

13. सामान्य तौर पर शिक्षण संस्थाओं के फीस का निर्धारण करने के लिये अनेक बिंदु पर विचार किया जाता है। फीस निर्धारण हेतु के लिए भारतवर्ष एवं राज्यों के आर्थिक आंकड़ों को विचार में लिया जा सकता है।

14. भारत सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अंतर्गत आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जो होलसेल प्राईस इण्डेक्स वर्ष 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए जो गणना की गई है उसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2012-13 में 106.9, वर्ष 2013-14 में 112.5, वर्ष 2014-15 में 113.9, वर्ष 2015-16 में 109.7, वर्ष 2016-17 में 111.6, वर्ष 2017-18 में 114.9, वर्ष 2018-19 में 119.8, वर्ष 2019-20 में 121.8, वर्ष 2020-21 में 123.4, वर्ष 2021-22 में 139.4 वर्णित है।

15. इसी तरह कंज्युमर प्राईस इण्डेक्स 2012 को आधार वर्ष मानते हुए जो गणना की गई है उसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2012-13 में 102.5, वर्ष 2013-14 में 112.2, वर्ष 2014-15 में 118.9, वर्ष 2015-16 में 124.7, वर्ष 2016-17

में 130.3, वर्ष 2017-18 में 135.9, वर्ष 2018-19 में 139.6 मानते हुए लगभग प्रतिवर्ष 6.04 औसत इन्फ्लेशन दर का अनुमान लगाया।

16. इसी तरह इन्फ्लेशन इण्डेक्स का भी उल्लेख यहां किया जाना समुचित है जिसमें वर्ष 2001-02 को आधार वर्ष मानते हुए गणना की गई है उसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2012-13 में 200, वर्ष 2013-14 में 220, वर्ष 2014-15 में 240, वर्ष 2015-16 में 254, वर्ष 2016-17 में 264, वर्ष 2017-18 में 272, वर्ष 2018-19 में 280, वर्ष 2019-20 में 289, वर्ष 2020-21 में 301, वर्ष 2021-22 में 317, एवं वर्ष 2022-23 में 331 वर्णित है। इस तरह 2019-20 के पश्चात् 289 से 331 अंक पाये गये।

17. छ.ग. राज्य सम्पन्न राज्य नहीं है। इस राज्य में वर्ष 2012 से 2021 के दौरान प्रति व्यक्ति आय रू. 1,04,943/- है, मध्यप्रदेश में वर्ष 2012 से 2021 के दौरान प्रति व्यक्ति आय रू. 1,24,685/- है, महाराष्ट्र में वर्ष 2012 से 2021 के दौरान प्रति व्यक्ति आय रू. 1,93,121/- है एवं भारत की वर्ष 2012 से 2021 के दौरान प्रति व्यक्ति आय रू. 1,50,000/- है।

18. जैसा कि उपर प्रति व्यक्ति आय का उल्लेख किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ धनी राज्यों की श्रेणी में नहीं है और छत्तीसगढ़ की जनता अत्यधिक खर्च उठाने के लिए सक्षम भी नहीं है और फीस निर्धारण करने के समय छत्तीसगढ़ राज्य की आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। संबंधित महाविद्यालय की गुणवत्ता एवं पाठ्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए तथा छ.ग. की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को विचार में रखते हुए जबकि छ.ग. राज्य एक आदिवासी बाहुल्य राज्य है तथा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की आमदनी अन्य वर्ग की अपेक्षा निश्चित रूप से कम होती है, को विचार में रखते हुए तथा छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बाहुल्य प्रदेश

है, के छात्र कम से कम अपने राज्य में मेडिकल पाठ्यक्रम में बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके।

19. इस समिति द्वारा इसके पूर्व प्रदेश के 03 निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस का निर्धारण किया गया है, जिनका उपर उल्लेख किया गया है। उपरोक्त निर्धारण अधिनियम, 2008 के प्रावधान एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न न्याय दृष्टांत जिनका उपर उल्लेख है तथा उपरोक्त संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये गए तथ्यों के आधार पर छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया है और निर्धारण के समय फीस निर्धारण के लिए समुचित स्टेटिकल टूल्स के आधार पर संस्था और छात्र दोनों के हितों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए समिति का यह सुझाव था कि शिक्षण संस्थाओं में केपिटल एक्सपेंडिचर प्रारंभ में एक बार ही सामान्य तौर पर किया जाता है। चूंकि उपरोक्त शिक्षण संस्थाओं की पूर्व से फीस उन्हीं तथ्यों के आधार पर निर्धारित की जा चुकी है और अब केवल समय के आधार पर पुनर्निर्धारण ही किया जाना है क्योंकि सभी कॉलेज पूर्व से चालू कॉलेज ही है । इसलिए इन सभी कॉलेजों में मुख्यतः कॉलेज चलाने हेतु दिन-प्रतिदिन होने वाले खर्च मुख्य रूप से शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टॉफ का वेतन, विद्युत खर्चे, प्रशासनिक खर्च और मेंटनेंस तथा डेव्हलपमेंट खर्च ही आते हैं । शैक्षणिक संस्था की संबंधित समिति या कम्पनी ने ऋण के लिए ब्याज जो अदा किया है उसे खर्चों में शामिल नहीं किया जा सकता जैसा कि ऊपर ही वर्णित किया जा चुका है इसलिए संस्था की फीस का पुनर्निर्धारण करने हेतु जिन तथ्यों पर विचार किया जाए उनमें मुद्रा स्फीति भी एक तथ्य है जिसकी दर भारत में 2 से 3 प्रतिशत गत कुछ वर्षों से आंकलित की जा रही है, परन्तु केवल मुद्रा स्फीति को ही फीस वृद्धि के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि मुख्य रूप से केपिटल एक्सपेंडिचर जो संस्था ने किए हैं उनकी लगभग पूर्ति हो चुकी है । दो वर्ष के कोरोना महामारी काल

में शिक्षण संस्थाओं के खर्चों में बहुत कमी रही है क्योंकि ऑनलाईन पढ़ाई पर ही शिक्षण संस्थाएं चली है इसलिए दो वर्षों में उनकी काफी बचत भी हुई है । इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए समिति संभावित खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए 3 प्रतिशत की वृद्धि को ही समुचित पाती है । इसके अतिरिक्त विकास के लिए भी प्रत्येक संस्था को उसके स्तर के आधार पर समुचित इनसेंटिव्ह के रूप में राशि भी दी गई है, जैसा कि समिति ने निरीक्षण में पाया है। समिति ने निरीक्षण हेतु इनसेंटिव्ह प्रदान करने के लिये तीन श्रेणियां निर्धारित की है- (अ) बहुत अच्छा (Very Good) , (ब) अच्छा (Good), (स) औसत या साधारण (Average), औसत या साधारण के लिए 25000/-, अच्छा के लिए 30000/-, बहुत अच्छा के लिए 40000/-रूपये निर्धारित की गई । उक्त आधारों पर समिति द्वारा इस राज्य में इन संस्थाओं के अतिरिक्त जो तीन अन्य मेडिकल कालेज श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस जुनवानी भिलाई, रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस, गोढ़ी भानसोज एवं श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस मोवा संचालित हैं जिनकी एम.बी.बी.एस. की फीस का पुनर्निर्धारण पूर्व में किया गया है, जिसमें वर्ष 2022-2023, 2023-2024 एवं 2024-2025 हेतु श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस जुनवानी भिलाई की फीस 7,99,187/- रूपये वार्षिक, रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस, गोढ़ी भानसोज की फीस 7,45,187/- रूपये एवं वर्ष 2021-2022, 2022-2023 एवं 2023-2024 हेतु श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस मोवा की फीस 7,50,187/- रूपये वार्षिक निर्धारित की गई है, उसे भी श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस एंड रिसर्च, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) एवं अभिषेक आई मिश्रा मेमोरियल कॉलेज एंड रिसर्च, जुनवानी, भिलाई के निर्धारण में विचार में लिया ही जावेगा । इस तथ्य को भी विचार में रखते हुए श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल

साईंसेस एंड रिसर्च, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) एवं अभिषेक आई मिश्रा मेमोरियल कॉलेज एंड रिसर्च, जुनवानी, भिलाई, का शैक्षणिक शुल्क रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस के शुल्क की तरह ही नियत किया जाना समुचित पाती है क्योंकि इन दोनों संस्थाओं का भी निरीक्षण में स्तर औसत/साधारण ही पाया गया है।

20. दोनों संस्थाओं के डीन द्वारा यह भी कहा गया कि हॉस्टल, मेस, ट्रांस्पोर्टेशन को वैकल्पिक कह दिया जाता है जबकि मेडिकल कॉलेज के संदर्भ में ये समस्त चीजें आवश्यक हैं और उन्होंने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के विनियम "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 2020" के प्रावधान A-3 को आधार लिया है। जैसा कि वर्णित प्रावधान से ही स्पष्ट है यह छात्रों के लिए अनिवार्य नहीं रखा गया है नहीं तो स्वीकृत सीट के अनुसार 100 प्रतिशत छात्रों के लिए हॉस्टल का प्रावधान रखा जाता। हॉस्टल आदि चीजें सुविधा के लिए रखी जाती हैं और जो उसका उपभोग करेगा वहीं उसका भुगतान करेगा ना कि प्रत्येक छात्र जहां तक खर्चों का संबंध है शैक्षणिक संस्था को अतिरिक्त राशि विकास के रूप में सम्मिलित करते हुए फीस निर्धारित की जाती है इसलिए अतिरिक्त खर्च की बात तो स्वीकार्य नहीं है।

21. संस्था की ओर यह भी कहा गया कि ट्रांस्पोर्टेशन, हॉस्टल, मेस शैक्षणिक शुल्क का भाग नहीं है इसलिए ए.एफ.आर.सी. को इस संबंध में कोई निर्देश नहीं देना चाहिए। जहां तक ये समस्त चीजें शैक्षणिक शुल्क का भाग हैं या नहीं यह विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय दोनों द्वारा पूर्व में ही निर्धारित किया जा चुका है इन्हें नो प्राफिट नो लास के रूप में इसलिए रखा गया है क्योंकि जो खर्च हो वहीं छात्रों से लिया जाए इसलिए पूर्वानुमान लगाते हुए उसे निर्धारित नहीं किया जा सकता है। <u>माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा रिट पिटिशन (सी) 2112/2010, दिशा</u>

				student and also for half year Rs.
1.	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस एंड रिसर्च, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)	2024-2025, 2025-2026 एवं 2026-2027	साधारण/औसत (Average)	Rs.7,45,187/- per year upto course tenure of four year and for remaining half year Rs. 3,72,593.5
2	अभिषेक आई मिश्रा मेमोरियल कॉलेज एंड रिसर्च, जुनवानी, भिलाई,	2024-2025, 2025-2026 एवं 2026-2027	साधारण/औसत (Average)	Rs.7,45,187/- per year upto course tenure of four year and for remaining half year Rs. 3,72,593.5

24. छात्रावास, मेस और कॉलेज आने-जाने के लिए ट्रांस्पोर्टेशन की सुविधा वैकल्पिक रहेगी। प्रत्येक छात्र/छात्राओं के लिए यह बाध्यता नहीं है कि उसका उपयोग करें । यह स्वैच्छिक है । छात्रावास, मेस एवं ट्रांस्पोर्टेशन शुल्क "न लाभ न हानि" (N0 PROFIT NO LOSS) के आधार पर केवल उपयोगकर्ता छात्र/छात्राओं से ही लिया जाना है, अन्य छात्रों से नहीं लिया जा सकेगा ।

25. संस्था द्वारा ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य मदों में जो फीस ली जावेगी, उसका पूरा विवरण नोटिस बोर्ड, संस्था की वेबसाईट तथा प्रवेश हेतु जारी किए जाने वाले प्रॉस्पेक्टस में उल्लेखित होगी । प्रॉस्पेक्टस काउंसिलिंग के पूर्व अनिवार्य रूप से जारी करेंगे तथा प्रॉस्पेक्टस की एक प्रति प्रवेश तथा फीस विनियामक सचिवालय में जमा करनी होगी ।

26. संबंधित संस्था अपनी उक्त फीस के अतिरिक्त और कोई भी शुल्क यूनिफार्म, आई. डी.-कार्ड, लायब्रेरी-कार्ड, लेबोरेटरी, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल-कूल, स्किल लैब एवं एन.एस.एस. फीस आदि मदों भवन, फर्नीचर, उपकरण आदि मदों में वसूल नहीं कर सकेगी ।

एजुकेशन सोसायटी वि0 छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य तथा रिट पिटिशन (सी) 2388/2010 एसोसियेशन ऑफ प्राईवेट प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ छत्तीसगढ़ वि0 छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य के प्रकरण में दिनांक 13/12/2010 को पारित निर्णय में विशेष रूप से हॉस्टल, मेस व ट्रांस्पोर्टेशन के लिए निर्णय के पैरा 43 (ii) में नो लास नो प्राफिट केवल वास्तविक खर्च के आधार पर शैक्षणिक संस्थाएं उपरोक्त के शुल्क लेंगी, यह प्रतिपादित किया है। इसलिए संस्था की ओर से की जा रही यह मांग भी समुचित नहीं है क्योंकि छात्रों का हित भी विचार में लेते हुए और संस्था को लाभ कमाने का व्यवसाय ना मानते हुए यह निर्धारित किया है।

22. संबंधित संस्था यूनिफार्म, आई.डी.-कार्ड, लायब्रेरी-कार्ड, लेबोरेटरी, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल-कूल, स्किल लैब एवं एन.एस.एस. फीस आदि मदों में कोई अतिरिक्त राशि नहीं ले सकेगी, क्योंकि फीस का निर्धारण करने के समय इन समस्त व्ययों का अनुमान लगाते हुए ओव्हरहेड खर्च 30 प्रतिशत स्वीकृत किए जा रहे हैं। यदि इन कार्यों के लिएं कोई भी राशि ली जाती है तो इसे केपिटेशन शुल्क मानते हुए उस संस्था के उपर विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी।

23. तद्नुसार यह समिति श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस एंड रिसर्च, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) एवं अभिषेक आई मिश्रा मेमोरियल कॉलेज एंड रिसर्च, जुनवानी, भिलाई, में संचालित एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम हेतु फीस का अंतिम निर्धारण रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस, गोढ़ी, भानसोज के बराबर रखते हुए उसके नाम के सम्मुख वर्षों के लिए निम्नानुसार किया जाता है:-

स. क्र.	एम.बी.बी.एस. महाविद्यालयों के नाम	वर्ष जिसके लिए फीस का पुनरीक्षण किया गया	श्रेणी	Fees(Inclusive of Growth & Development Charges, Weightage and all other Misc. Fees per year per

27. संस्था छात्र से रू. 25,000/- (रूपए पच्चीस हजार मात्र) प्रति छात्र एकमुश्त प्रवेश के समय काशन मनी के रूप में प्रावधानित राशि ले सकेगी, जो छात्र के संस्था छोड़ने पर वापसी योग्य होगी ।

28. संस्था द्वारा निर्धारित फीस से अधिक फीस लेना अथवा समिति द्वारा निर्धारित मद से अन्य मद में फीस लेना केपिटेशन फीस कहलाएगी एवं दोषी संस्था के उपर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।

29. यह फीस शिक्षण सत्र 2024-2025, 2025-2026 एवं 2026-2027 में प्रवेशित छात्रों के लिए ही लागू होगी एवं यही फीस उनके पूरे पाठ्यक्रम अवधि के लिए लागू रहेगी।

30. विश्वविद्यालय शुल्क एवं काउंसिलिंग शुल्क, राज्य शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गये नियमों के तहत ही लिया जा सकेगा ।

31. समिति द्वारा निर्धारित की गई फीस अधिकतम है, कोई संस्था चाहे तो इससे कम फीस भी ले सकती है ।

32. संस्था द्वारा छात्र से प्रवेश के समय स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं माईग्रेशन प्रमाण पत्र के अतिरिक्त और कोई भी मूल प्रमाण पत्र (जैसे 10वीं, 12वीं की मूल अंकसूची, मूल निवासी एवं जाति प्रमाण पत्र आदि) जमा नहीं कराया जाना है । केवल सत्यापन हेतु उसका अवलोकन किया जा सकता है ।

33. छात्र द्वारा निर्धारित अवधि में प्रवेश के एक माह के अंदर फीस जमा न करने पर संस्था, छात्र से रू.100/ -(रूपये एक सौ मात्र) प्रतिदिन की दर से पहले महीने एवं दूसरे महीने से रू. 200/- प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क ले सकेगी, इससे अधिक राशि वह नहीं वसूल कर सकेगी ।

34. WP(C)1707/2016 श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, रायपुर बनाम छ.ग. शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 02/02/2017 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार यदि कोई छात्र काउंसिलिंग के दौरान संस्था छोड़ना चाहता है एवं अपना प्रवेश निरस्त कराना चाहता है तो उसे काउंसिलिंग के अंतिम तिथि के

05 दिन पूर्व संबंधित संस्था में प्रवेश निरस्ती संबंधी आवेदन पत्र जमा करनी होगी, तभी उसकी जमा फीस नियमानुसार वापसी योग्य होगी । अन्यथा उच्च न्यायालय के उक्त आदेशानुसार फीस वापस नहीं की जा सकेगी ।

35. छात्र से ली जाने वाली फीस या वापस की गई राशि बैंक के माध्यम से जैसे चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा से ही ली या वापस की जा सकेगी ।

36. संस्था प्रति वर्ष गत वर्ष की आडिट रिपोर्ट नोटिस बोर्ड में चस्पा करेगी ।

37. संबंधित संस्था फीस से संबंधित जानकारी एवं स.क्र. 23 से 36 तक की जानकारियां संस्था के नोटिस बोर्ड में बड़े अक्षरों में प्रसारित करेंगे तथा अपनी वेबसाईट में भी अपलोड करेंगे एवं की गई कार्यवाही से इस समिति को सूचित करेंगे ।

38. अतः यह समिति श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईसेस एंड रिसर्च, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) एवं अभिषेक आई मिश्रा मेमोरियल कॉलेज एंड रिसर्च, जुनवानी, भिलाई के अधोसंरचना और अन्य आधार पर उनकी श्रेणी का निर्धारण करते हुए कंडिका-23 के अनुसार उनके सम्मुख वर्षों के लिए शैक्षणिक शुल्क का निर्धारण करती है ।

संकल्प की प्रति आवश्यक अधिसूचना हेतु राज्य शासन की ओर भेजा जाए तथा एक प्रति वेबसाईट में अपलोड हेतु चिकित्सा शिक्षा संचालक, छत्तीसगढ़ की ओर भेजी जाएं।

(प्रभात कुमार शास्त्री) अध्यक्ष ए.एफ.आर.सी.	(डॉ.यू.एस.पैकरा) पदेन सदस्य (संचालक चिकित्सा शिक्षा) ए.एफ.आर.सी.	(योगेश वर्ल्यानी) सदस्य (वित्त) ए.एफ.आर.सी.	(सैयद अफसर अली) सदस्य (विधि) ए.एफ.आर.सी.